मध्यप्रदेश माध्यम/2011
www.mpmadhyam.in, E-mail : mpmdtp@yahoo.com

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

बृजभान की निजी भूमि पर कपिलधारा कूप-जिला सीधी

नंदन फलोद्यान के कार्य- जिला बैतूल

मुख्य पृष्ठ के फोटो

क्र.-1 रामेश्वर जसतलाल की भूमि पर बना कपिलधारा कूप-ग्राम साकादेही, जिला बैतूल
क्र.-2 गांवों को जोड़ती ग्रेवल सड़क-जिला बुरहानपुर
क्र.-3 पानी से भरा स्टॉपडैम-जनपद साजवा, जिला छिन्दवाड़ा
क्र.-4 खेत तालाब में मछली पालन का कार्य करता ग्रामीण-जिला छिन्दवाड़ा

चिरोंजीलाल के खेत पर हुए मेढ़बंधान के कार्य-ग्राम पंचायत इमलिया, जिला भोपाल

ग्राम पंचायत गुरारखेड़ा की निवासी समली बाई के खेत पर बना खेत तालाब

अंतिम पृष्ठ के फोटो

क्र.-1 मोबाईल बैंकिग के माध्यम से मजदूरी भुगतान-जिला अनूपपुर
क्र.-2 निर्मलनीर कूप का लाभ प्राप्त करते ग्राम पंचायत कोयलारी के ग्रामीण-जिला बैतूल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2009-10

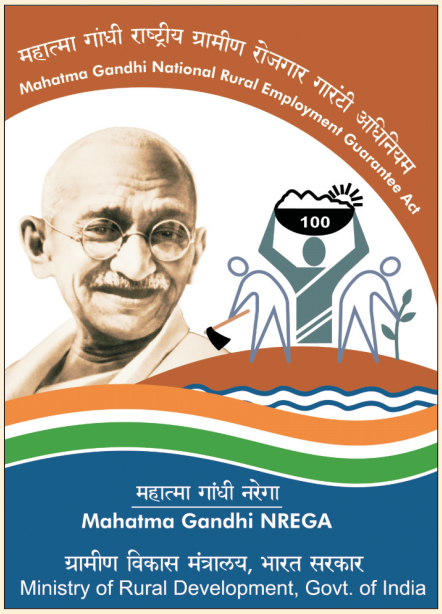

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2009–10

विभाग का नाम	:	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
प्रभारी मंत्री	:	श्री गोपाल भार्गव
राज्य मंत्री	:	श्री देवसिंह सैयाम

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव	:	श्री आर. परशुराम
सचिव	:	श्री अजय तिर्की
उप सचिव	:	श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला
उप सचिव	:	श्री संतोष मिश्र
अवर सचिव	:	श्री एस.एन. तिवारी

(31 मार्च 2010 की स्थिति में)

विवरण

क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	मुख्यांश	3
3.	संरचना	7
4.	योजना	13
5	दायित्व	23
6.	विशेषताएं	31
7.	वित्तीय प्रबंधन	41
8.	उपयोजनाएं	45
9.	परिशिष्ट	61

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – 2005, 5 सितंबर 2005 से लागू हुआ है। अधिनियम के तहत 02 फरवरी 2006 को प्रदेश के 18, 01 अप्रैल 2007 को प्रदेश के 13 और 1 अप्रैल 2008 से प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण अंचल में लागू हैं। अधिनियम मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लागू हो गया है।

अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के वयस्क सदस्य को मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल मजदूरी के लिये रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। कार्य उपलब्ध नहीं होने पर काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के अंदर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है। बेरोजगारी भत्ता 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है।

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए बुनियादी विकास के कार्य कराए जाते हैं। अधिसूचित जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना को सम्मिलित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. क्रियान्वित की गई है।

मुख्यांश

मुख्यांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम क्रमांक 42 की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म. प्र. को लागू करने में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य है।

- प्रदेश में 47.22 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से केन्द्रांश 3966.08 करोड़ रुपए प्राप्त।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश की राशि 372.51 करोड़ रुपए।
- प्रदेश में कुल 3779.71 करोड़ रुपए का व्यय।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 2623.12 लाख मानव दिवस सृजित।
- कुल में से महिलाओं द्वारा 1171 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 241030 कार्य पूर्ण।
- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 311869 कार्य प्रगतिरत।
- बचत खातों की संख्या 6865633
- बचत खातों से मजदूरी भुगतान की राशि 2258.63 करोड़ रुपए।

संरचना

संरचना

1. राज्य परिषद का गठन :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम – 2005 के तहत क्रियान्वयन कार्य की सतत् निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। अधिनियम के अनुसार गठित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– म.प्र. के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामान्य सभा गठित की गई है।

1.1 सामान्य सभा :

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय सामान्य सभा, का गठन निम्नानुसार है :–

(1)	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	– अध्यक्ष
(2)	मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	– उपाध्यक्ष
(3)	मंत्री, वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण एवं विधायी विभाग मध्यप्रदेश शासन	– सदस्य
(4)	उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल	– सदस्य
(5)	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	– सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	– सदस्य सचिव
(7)	पंचायती राज संस्थाओं और गैर शासकीय संगठनों के राज्य शासन द्वारा नामांकित 2 प्रतिनिधि	– सदस्य

1.1.1 मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा के कार्य :–

(i) राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को सलाह देती है।

(ii) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करती है।

(iii) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक समन्वय का कार्य करती है।

(iv) योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण का कार्य करती है।

(v) राज्य शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है।

(vi) केन्द्रीय परिषद अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्यो को निष्पादित करती है।

(vii) केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं स्वायत्त संस्थाओं के सहयोग से परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपयुक्त अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है।

(viii) परिषद के कार्य संचालन हेतु नियम निर्माण, आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन, परिवर्तन और नियमों को निरस्त करने का कार्य किया जाता है।

(ix) परिषद जो उचित समझे, ऐसी शक्तियां एवं कर्तव्य राज्य स्तरीय सशक्त समिति को सौंपने का कार्य करती है।

(x) राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर अनुमोदन का कार्य करती है।

(xi) ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियां संचालित करना जो परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है।

1.2 सशक्त समिति :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अनुसार परिषद् की राज्यस्तरीय सशक्त समिति गठित की गई है जिसका नाम मध्यप्रदेश राज्य रोजगार प्राधिकरण (M.P. State Employment Guarantee Authority) रखा गया है। प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

(1) मुख्य सचिव – अध्यक्ष

(2) कृषि उत्पादन आयुक्त – सदस्य

(3) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास – सदस्य सचिव

(4) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि विभाग मध्यप्रदेश शासन – सदस्य

(5) आयुक्त/संचालक, पंचायत – सदस्य

(6) आयुक्त, जनसम्पर्क – सदस्य

(7) केन्द्र शासन द्वारा नामांकित प्रतिनिधि – सदस्य

1.2.1 सशक्त समिति के कार्य :–

(i) भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. का क्रियान्वयन एवं वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करना।

(ii) परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न स्तरों जिसमे मैदानी स्तर पर भी सम्मिलित हो, को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करने का कार्य।

(iii) केन्द्र सरकार से योजनांतर्गत प्राप्त राशि संधारण का कार्य।

(iv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. से संबंधित कार्यों के लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(v) जिलों की मांग अनुसार वित्तीय प्रबंधन करना।

(vi) शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना एवं सुधार हेतु सुझाव देने का कार्य।

(vii) योजना की समीक्षा करना एवं प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अनुसार कार्य करना।

(viii) योजना का प्रचार–प्रसार।

(ix) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न प्रकार की सिफारिशें करना।

(x) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक माह के अंत में साधिकार समिति द्वारा निर्णित प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना।

1.3 जिला क्रियान्वयन इकाई :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की जिला स्तर पर क्रियान्वयन इकाई अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के अधीन गठित है।

1.3.1 कार्मिक व्यवस्था :

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत मुख्यालय, संभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, जिला एवं जनपद पंचायत स्तर पर पृथक–पृथक अमले की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की गई है। परिषद की सशक्त समिति के अनुमोदन अनुसार पदों का सृजन एवं पूर्ति की गई है। तीनों स्तरों पर तकनीकी, प्रशासकीय एवं लेखा शाखा के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्त किया गया है। (संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 1) भारत शासन के निर्देशानुसार अमले को मासिक वेतन अथवा

संविदा पारिश्रमिक का भुगतान योजनांतर्गत उपलब्ध कराए गए आवंटन के प्रशासनिक मद योजना व्यय का 4 प्रतिशत से किया जा रहा है। परिषद मुख्यालय के संचालन का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। चयनित अमले को योजना से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण हेतु महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर को नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद एवं आर. सी. व्ही.पी. नरौन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्रदान किया जाता है।परिषद अंतर्गत 146 पदों का मुख्यालय स्तर पर सृजन किया गया है। इनके विरूद्ध 98 पदों की पूर्ति हुई है। **विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट– 2 सारणी क्र.–1, 2 एवं 3 पर प्रस्तुत है।**

योजना

योजना

2. योजना क्रियान्वयन :

2.1 योजना के अंतर्गत किये गये कार्य :

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये पारदर्शिता, जनसहभागिता और निर्णय की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था निर्मित की गई है।

2.2 परिवारों का पंजीयन :

प्रदेश में योजना के तहत पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिये ग्रामसभा और पंचायत पदाधिकारियों को जोड़कर परिवारों का पंजीयन किया जाता है। परिवार सूची के नामों का ग्राम पंचायतों द्वारा अनुमोदन किया जाता है। सरपंच, नये परिवार का पंजीयन अथवा परिवार विभाजन से बने नए परिवार के पंजीयन का कार्य भी ग्राम पंचायत के अनुमोदन से ही करते हैं।

2.3 जॉब कार्ड :

जॉब कार्ड का स्वरूप पास बुक के समान है। कार्ड में परिवार के मुखिया की फोटो के साथ ही परिवार के संबंध में सामान्य जानकारियां और कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के विवरण की प्रविष्टियां हैं। जॉब कार्ड जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के लिये मान्य है जिन्हें प्रति 5 वर्ष पर नवीनीकृत भी किया जाना है।

मण्डला जिले की ग्राम पंचायत बनियातारा के श्रमिक अपने जॉबकार्ड दिखाते हुए

2.4 कार्य योजना :

प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. में रोजगार मूलक निर्माण कार्यों का चयन 60 प्रतिशत मजदूरी और 40 प्रतिशत सामग्री के आधार पर किया जाता है। कार्य स्थानीय आवश्यकता उपलब्ध संसाधन और रोजगार की मांग के आधार पर किए जाते हैं।

2.4.1 कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, इसके लिये कृषि, जल संसाधन, वन, और लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त (अवकाश प्राप्त शासकीय सेवक) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को राज्य और जिला स्तर पर परामर्श देने के लिये नामांकित किया गया हैं, ताकि कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित रहे।

2.4.2 प्रदेश में योजना के अंतर्गत *''प्रथम आओ प्रथम पाओ''* के सिद्धान्त पर रोजगार की उपलब्धता की व्यवस्था विकसित की गई है। आवेदक को उसके द्वारा दर्शाये गये निवास के 5 कि.मी. की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि 5 कि.मी. की परिधि कार्य उपलब्ध नहीं होता है तो आवेदक को मजदूरी दर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

2.4.3 वृद्धजन और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता के प्रावधान किये गये हैं। योजनांतर्गत 8665 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार की मांग करने पर कार्य उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में महिलाओं द्वारा 1171 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। जिलेवार रोजगार सृजन का विवरण संलग्न परिशिष्ट–3 की सारणी क्र.–4 एवं 5 पर अंकित है।

2.5 बेरोजगारी भत्ता :

जॉबकार्ड धारक परिवार को रोजगार की मांग दिनांक से 15 दिवस की निर्धारित समय–सीमा में ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यदि ग्राम पंचायत स्वयं रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होती है तो वह 3 दिवस के भीतर कार्यक्रम अधिकारी को सूचित करती है। कार्यक्रम अधिकारी ऐसी रिपोर्ट मिलने के 7 दिवस के भीतर श्रमिकों को किसी अन्य कार्य स्थल पर कार्य के लिये उपस्थित होने की सूचना करते हैं किन्तु 15 दिवस के भीतर यदि आवेदक को रोजगार नहीं मिल पाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकता है। बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर की एक चौथाई होती है। बेरोजगारी भत्ता 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। बेरोजगारी भत्ते के लिये प्राप्त आवेदन पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 10 दिवस की समय सीमा में निर्णय की व्यवस्था की गई है।

2.6 रोजगार की उपलब्धता :

योजनांतर्गत प्राप्त आवंटन अनुसार जिलों में बुनियादी विकास के कार्यों में जॉब कार्ड धारक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :

सारणी क्र. – 6

क्र.	वित्तीय वर्ष	जॉबकार्ड धारक परिवार (संख्या)	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार (संख्या)	100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार(संख्या)	सृजित मानव दिवस (लाखों में)				
					अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य परिवार	कुल	महिला
1.	2007–08	7238784	4346916	912107	491.96	1342.46	918.59	2753.01	1147.24
2.	2008–09	11229546	5204924	979026	525.07	1379.54	1042.35	2946.97	1275.39
3.	2009–10	11292252	4722409	731518	484.35	1188.25	950.52	2623.12	1171.38

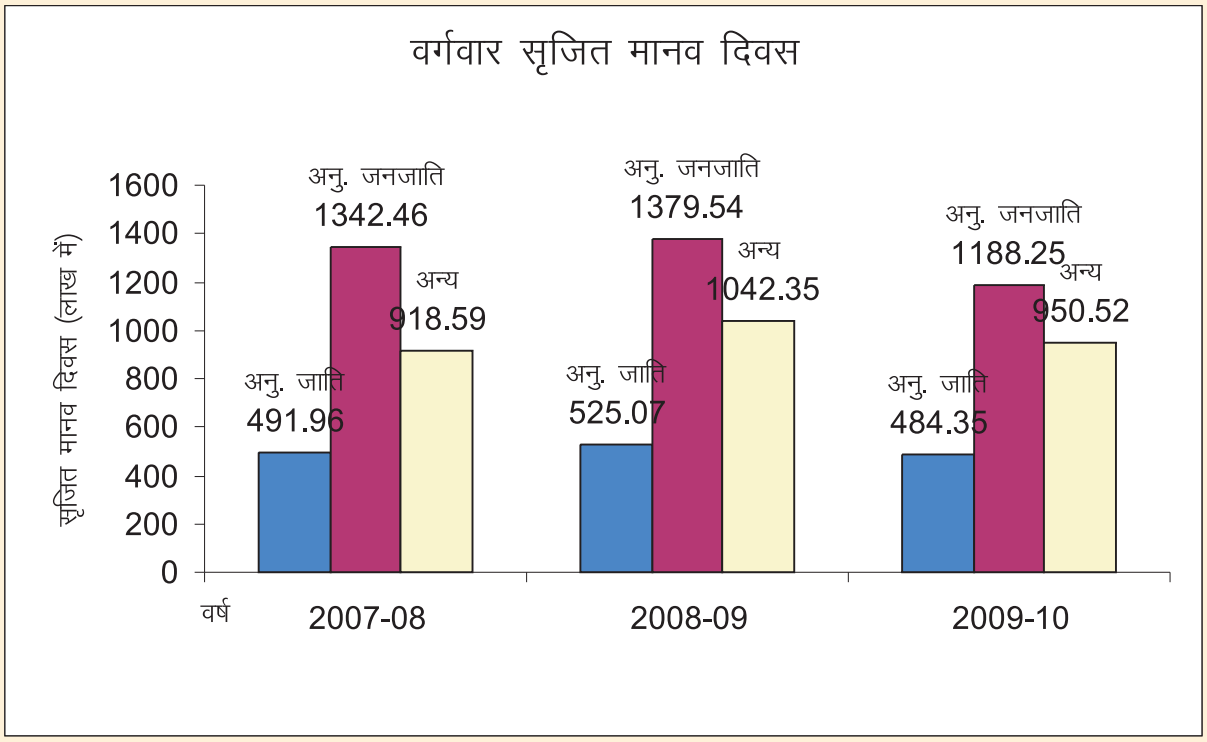

ग्राफ क्रमांक– 1

वर्गवार सृजित मानव दिवस

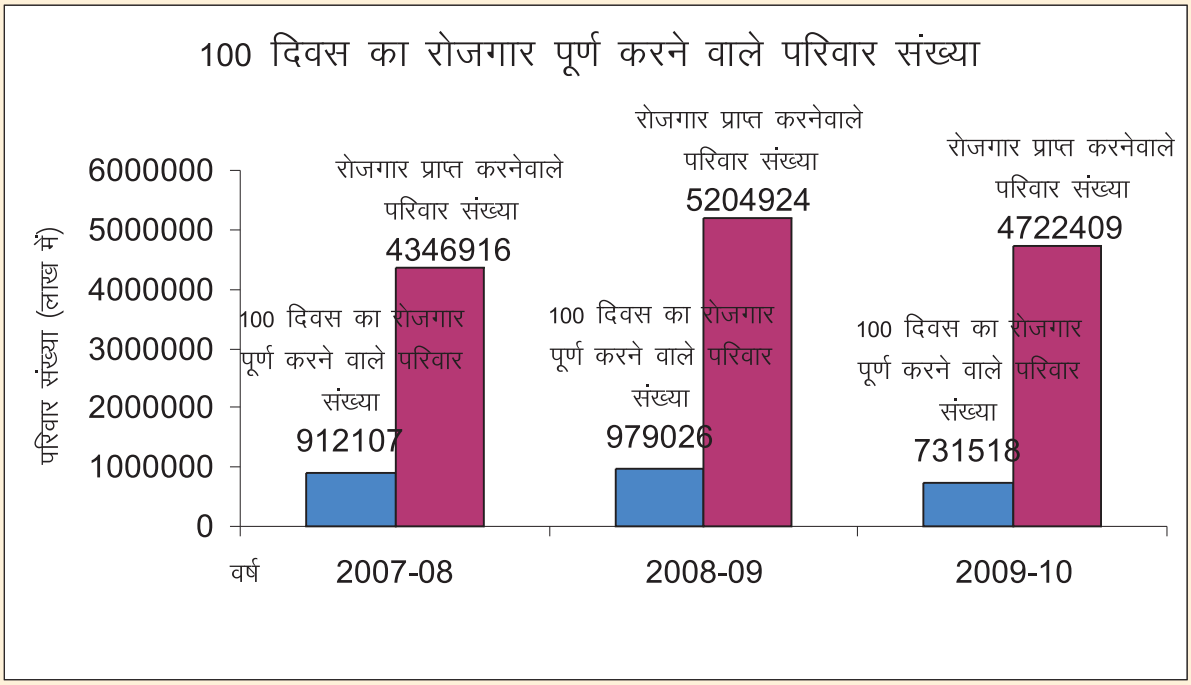

ग्राफ क्रमांक– 2

100 दिवस का रोजगार पूर्ण करनेवाले परिवारों की संख्या

2.7 योजनांतर्गत किए गए कार्य का विवरण :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित प्राथमिकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी विकास कार्य कराए गए हैं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष में कुल 5,52,899 कार्य कराए गए। इनमें से 2,41,030 कार्य पूर्ण हो गए हैं एवं 3,11,869 कार्य प्रगतिरत हैं। योजनांतर्गत ग्रामीण अंचल में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किए गए बुनियादी विकास के पूर्ण कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट–4 पर सारणी क्र.–7 पर प्रदर्शित है। इसी प्रकार प्रगतिरत कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट क्रमांक–4 सारणी क्रमांक–8 पर उपलब्ध है।

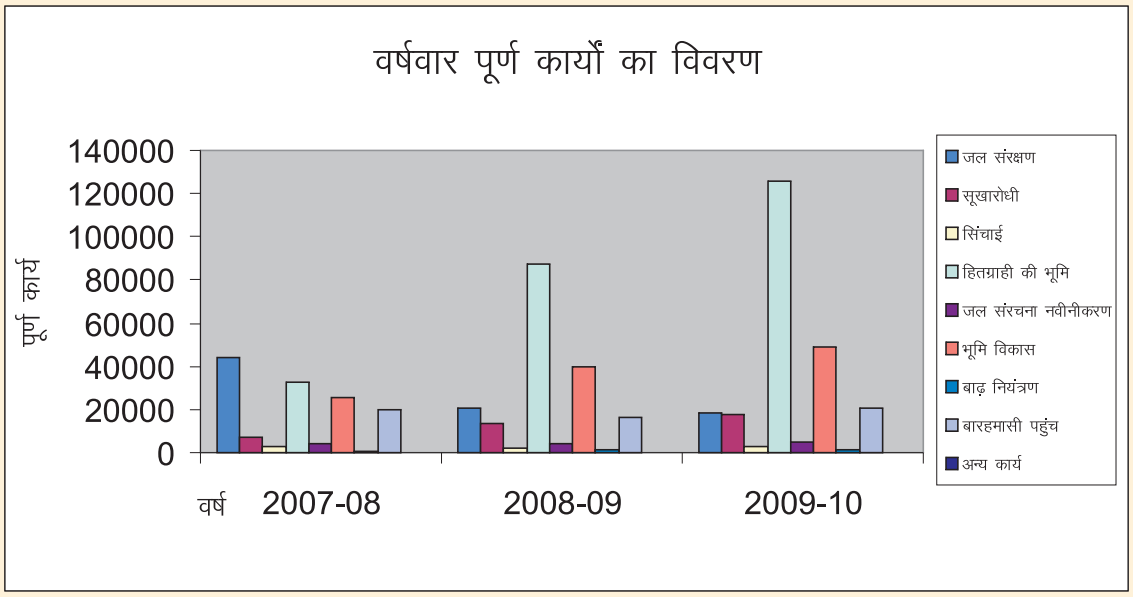

वर्षवार पूर्ण कार्यों का विवरण ग्राफ क्रमांक 3

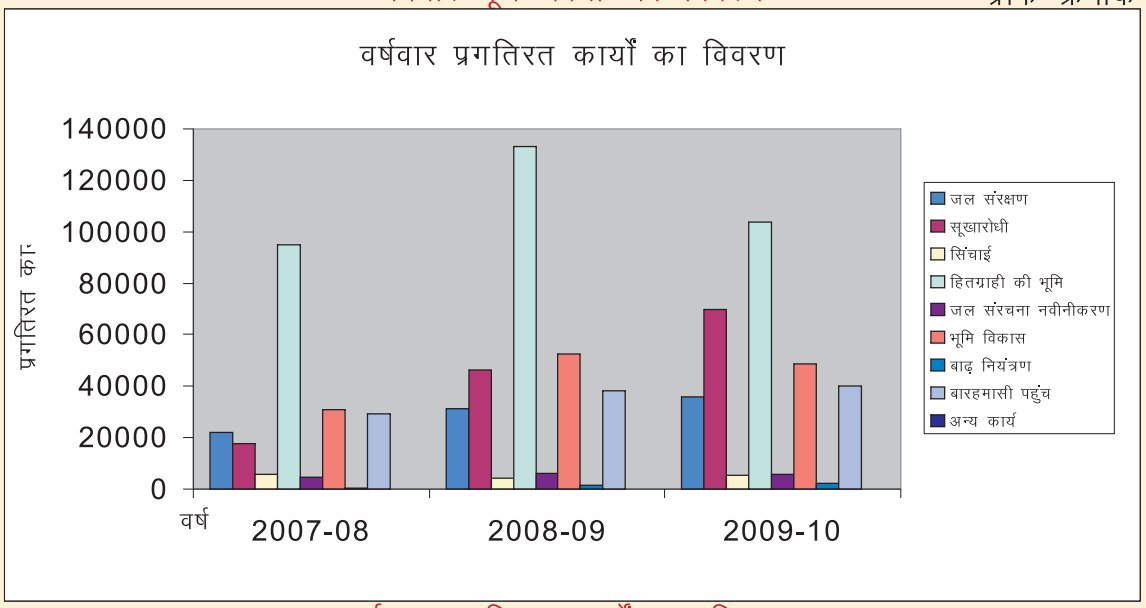

वर्षवार प्रगतिरत कार्यों का विवरण ग्राफ क्रमांक 4

2.8 कार्यस्थल पर मजदूरों को उपलब्ध सुविधाऐं :

कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जाती है।

बैतूल जिले की ग्राम पंचायत साकेतगढ़ में तालाब निर्माण कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाऐं।

2.9 दुर्घटना की क्षतिपूर्ति :

यदि काम के दौरान किसी दुर्घटना में कोई मजदूर घायल हो जाता है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर 25 हजार रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाता है। घायल मजदूर को भी आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाती है। वर्ष 2009–10 की अवधि में योजनांतर्गत मृत्यु के 44 प्रकरणों में 11 लाख रूपए की राशि 48 जिलों में प्रदाय की गई। इसी प्रकार कार्यस्थल दुर्घटना के 65 प्रकरणों में 5,17,539/– रूपए से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि 48 जिलों में प्रदाय की गई है। (संलग्न परिशिष्ट–5 सारणी क्र.–9)

2.10 सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के तहत रोजगार की माँग, मजदूरों के अधिकारों और क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी विभिन्न गतिविधियां जिले एवं जनपद पंचायत स्तर से ग्रामीण अंचल में आवश्यकता अनुसार संचालित की जाती हैं।

2.11 प्रशिक्षण :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के प्रावधान अनुसार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर के पंचायत पदाधिकारियों, सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों, प्रशासनिक, तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2009–10 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 63516 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से 799 तकनीकी अधिकारियों, 46669 सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य और 16048 प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

2.12 प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (M.I.S.) :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिसको प्रत्येक जनपद पंचायत पर स्थापित कर योजनांतर्गत आंकड़ों की फीडिंग की जाती है, जिनको वेबसाईट www.nrega.nic.in पर देखा जा सकता है। उक्त प्रकाशित आंकड़े ऑनलाईन मॉनिटरिंग तथा पारदर्शिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से

आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2.13 आगे बढ़कर जानकारियों का प्रस्तुतीकरण (Pro-Active Self Disclosure) :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. से संबंधित समस्त जानकारियों को आगे बढ़कर प्रस्तुत करने के कार्य किए गए हैं। परिषद द्वारा निर्मित वेबसाइट www.nregs-mp.org पर भी यह जानकारियां ऑनलाईन उपलब्ध हैं। वेबसाईट में परिषद से जारी दिशा निर्देशों व परिपत्रों का संकलन उपलब्ध है। प्रदेश में योजनांतर्गत चल रहे कार्यों की संपूर्ण जानकारी इस वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

दायित्व

दायित्व

3. परिषद के दायित्व :

3.1 रोजगार की गारंटी :

अधिनियम के अंतर्गत निर्मित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार के वयस्क सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, जो अकुशल मजदूरी करने के लिये तैयार हैं, उनके पास जॉब कार्ड है। उनको एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार मांगने पर उपलब्ध कराया जाता है।

3.2 बेरोजगारी भत्ता :

योजना के अंतर्गत मजदूरी नकद रूप में उपलब्ध कराई जाती है। काम की मांग करने वाले आवेदक को कार्य उपलब्ध नहीं होने पर 15 दिवस के अंदर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है। बेरोजगारी भत्ता 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है।

3.3 महिलाओं को प्राथमिकता :

योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा कार्य करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए अधिनियम के तहत ऐसी महिलायें जो जॉबकार्ड धारक हैं, रोजगार हेतु आवेदन करती हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वालों में से कम से कम एक तिहाई महिलायें लाभान्वित हो।

बैतूल जिले की ग्राम पंचायत कोदारोटी में कार्यरत नारी शक्ति।

3.4 निःशक्तजन को रोजगार :

योजना के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निःशक्तजन रोजगार के लिए आवेदन करता है, तो उसे योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य दिया जाता है।

3.5 न्यूनतम मजदूरी :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005 की धारा 6 उपधारा 1 के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2009 से मध्यप्रदेश राज्य के लिए मजदूरी दर रु. 100 निर्धारित की गई है।

3.6 विकेन्द्रीकृत कार्य योजना :

अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के बुनियादी विकास कार्य ग्रामसभा के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। योजनांतर्गत किए जाने वाले कार्यो के *''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट''* ग्रामवार निर्मित किए गए हैं।

3.7 ठेकेदारी प्रथा और मशीनों पर प्रतिबंध :

योजनांतर्गत कार्यों में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसी मशीनें जो मानव श्रम के स्थान पर कार्य करती है, उनका प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

3.8 योजनांतर्गत कार्य :

अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी विकास के कार्य किए जाते हैं। अधिनियम अंतर्गत निम्नानुसार रोजगारमूलक कार्य कराए जा सकते हैं :–

- जल संरक्षण और जल शस्य संचय;
- सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण है);
- सिंचाई नहरे जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है;
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध;
- पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसके अंतर्गत जल शुद्धिकरण भी है;
- भूमि विकास;
- बाढ़ नियंत्रण, संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है;
- सभी मौसमों में पहुंच का उपबंध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता;
- कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

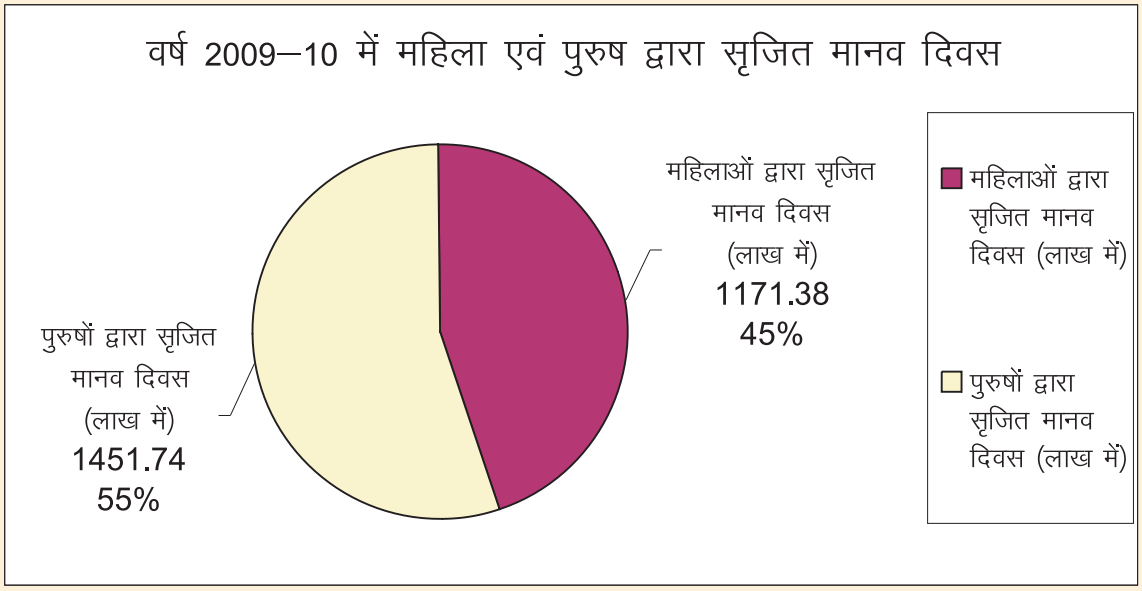

ग्राफ क्रमांक 5

वर्ष 2009–10 में महिला एवं पुरूष द्वारा सृजित मानव दिवस

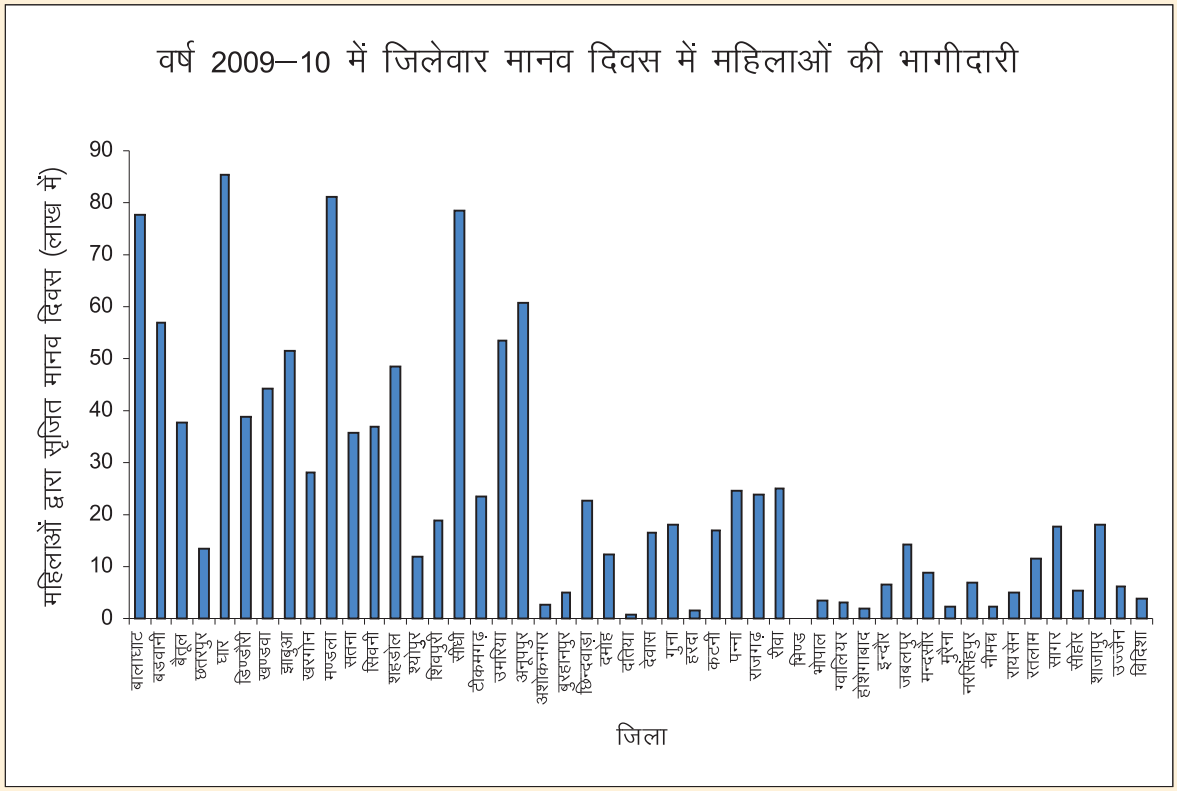

ग्राफ क्रमांक 6

वर्ष 2009–10 में जिलेवार मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी

3.9 कार्यों की गुणवत्ता :

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत् निगरानी की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार द्वारा नामांकित नेशनल लेवल मॉनिटर, राज्य शासन के द्वारा नामांकित राज्य स्तरीय मॉनिटर, जिला क्वालिटी मॉनिटर द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया जाकर स्थल पर कार्यों की गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं।

3.10 राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स :

केन्द्र सरकार की तरह राज्य स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने हेतु 86 राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स नामांकित हैं। यह क्वालिटी मॉनीटर्स राज्य स्तर से निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम के तहत कार्य करते है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटरों द्वारा प्रस्तुत 287 निरीक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया गया जिसमें 1880 कण्डिकाएं निर्मित हुई हैं। इन कंडिकाओं में से 1010 निराकृत हो गई हैं। शेष 870 कंडिकाओं के निराकरण की कार्रवाई प्रचलित है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटरों ने प्रमुख रूप से ग्राम पंचायतों के अभिलेख अद्यतन न होने, निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में विलंब, निर्माण स्थलों पर सूचना पटल न लगे होने की जानकारी दी है। सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के सभी जिलों में मशीन सेल गठित किए गए हैं।

3.11 जिला स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अन्तर्गत कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु स्वतंत्र निरीक्षण कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर नामांकित किये गये हैं। इन अधिकारियों के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के निर्देशन में सतत मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।

3.12 मेट :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अंतर्गत निर्माण कार्यों में कार्य करने वाले श्रमिकों में से एक श्रमिक को मेट (श्रमिक–प्रमुख) के रूप में रखा जाता है। मेट अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन कर सके इस हेतु उनकी ट्रेनिंग तथा सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 5 से 7 श्रमिक मेट के रूप में चिन्हित हैं।

3.13 एक्जिट प्रोटोकॉल (**Exit Protocol**) :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं की मॉनिटरिंग, पारदर्शिता, सामाजिक अंकेक्षण और शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक कार्य एक्जिट प्रोटोकाल अनुसार पूर्ण कराये जाने के निर्देश शासन स्तर से जारी किये गये हैं। एक्जिट प्रोटोकाल के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्ति को ग्राम पंचायत और उपयोगकर्ता इकाई को सौंपा जाता है। एक्जिट प्रोटोकाल के अंतर्गत जानकारी ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर संधारित की जाती है, जिसमें कार्य का नाम, वर्क कोड, तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति, लागत, सृजित मानव दिवस, कार्य पूर्णता दिनांक, सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति के निरीक्षण का दिनांक, सामाजिक अंकेक्षण का दिनांक, संरचना किसके आधिपत्य में है, आदि की जानकारी रखी जाती है।

3.14 कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाऐं :

कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की व्यवस्था की जाती है।

3.15 दुर्घटना में मजदूरों को सहायता :

यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना में कोई मजदूर घायल होता है, तो उसे चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मजदूर की कार्य के दौरान मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 25 हजार रुपये तक की राशि का भुगतान भी किया जाता है।

भोपाल की जनपद पंचायत बैरसिया में कार्यस्थल पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधा।

विशेषताऐं

विशेषताएं

4. योजना की प्रमुख विशेषताएं :

4.1 योजना में पारदर्शिता :

योजना क्रियान्वयन व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है, आमजन को आगे बढ़कर सूचना उपलब्ध कराने के प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए जिले के भीतर योजना के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के उपयुक्त उपयोग के लिये समस्त क्रियान्वयन एजेंसिया उत्तरदायी है। मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्य की व्यवस्थाएं पारदर्शी व्यवस्था द्वारा संचालित की जाती हैं। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (जिला कार्यक्रम समन्वयक), जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कार्यक्रम अधिकारी) और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं।

4.1.1 सूचना का प्रबंध :

आमजन निर्धारित फीस जमा कर इस कार्य योजना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में संशोधन कर निम्न व्यवस्थाऐं की हैं :–

- स्कीम में संबंधित सभी पंजियों और अभिलेखों को सार्वजनिक संवीक्षा के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसकी प्रति या इससे सम्बद्ध सार प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी मांग किए जाने पर आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर और स्कीम में विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान किए जाने के पश्चात ही ऐसी प्रतियां या सार उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मजदूर अपनी उपस्थिति और कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपार्जित मजदूरी की रकम को प्रति हस्ताक्षरित करेंगे।
- कार्य की प्रगति के दौरान सप्ताह में कम से कम एक बार कार्यस्थल के सभी बिल और व्हाउचरों का सत्यापन एवं प्रमाणन कार्य में संलग्न मजदूरों द्वारा किया जाएगा। इस कार्य के लिए साप्ताहिक चक्रानुक्रम के आधार पर कार्यरत श्रमिकों में से कम से कम पांच मजदूरों का चयन किया जाता है।
- अनुमोदन या कार्य आदेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
- प्रत्येक कार्य और प्रत्येक मजदूर के मापमान संबंधी अभिलेख सार्वजनिक निरीक्षण के

लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

- प्रत्येक कार्यस्थल पर एक नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाता है। भारत सरकार द्वारा विहित रीति में इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- कोई भी व्यक्ति सभी कार्य समय के दौरान कार्यस्थल पर मस्टर रोलों की प्रति मांग किए जाने पर प्राप्त कर सकते हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत योजना से संबंधित कोई भी जानकारी, भारत सरकार द्वारा विहित की गई वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यस्थल पर सूचना पटल

4.1.2 सामाजिक अंकेक्षण :

कार्य की गुणवत्ता और उपयोगिता के पुख्ता प्रबंध के लिए सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. में सतत् सामाजिक अंकेक्षण एक रचनात्मक पहलू है जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सहभागिता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण का माध्यम भी है। वर्ष में चार बार माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा द्वारा परिवारों के पंजीयन कार्य, जॉबकार्डो के वितरण, रोजगार आवेदनों की प्राप्ति, परियोजना सूची की तैयारी, स्थानों के चयन, तकनीकी अनुमानों की तैयारी, मंजूरी आदि कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही व्यक्तियों को काम के बंटवारें, उनके क्रियान्वयन और देख–रेख, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, मजदूरी का भुगतान एवं अन्य कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा अधिनियम 2005 की अनुसूची (1) के पैरा 13 में किए गए संशोधन अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सामाजिक अंकेक्षण कार्य का स्वरूप निर्धारित किया गया है :–

(i) सामाजिक संपरीक्षा प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार होगी।

(ii) सामाजिक संपरीक्षा की घोषणा जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कम से कम तीस दिन अग्रिम में की जाती है।

(iii) ग्रामसभा संपरीक्षा के लिए स्वयं में से एक सामाजिक संपरीक्षा समिति का चयन करती है। ग्रामसभा द्वारा उसके ऐसे सदस्य मजदूरों का चयन किया जाता है जिन्होंने ग्राम पंचायत अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन वर्तमान में और पहले कार्य किया है। इस सामाजिक संपरीक्षा समिति में कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला होती है।

(iv) कार्यक्रम अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के लिए कार्य कराने वाली संस्था के कार्यों की संपूर्ण जानकारी फाइलों सहित सभी सुसंगत दस्तावेज और उनकी प्रतियां ग्राम पंचायत पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहें।

(v) ग्राम पंचायत सामाजिक संपरीक्षा समिति को कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अग्रिम में सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करती है।

(vi) सामाजिक संपरीक्षा समिति सभी दस्तावेजों और जानकारी का सत्यापन करती है। कोई व्यक्ति सामाजिक संपरीक्षा समिति को कोई सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करना चाहता है तो वह समिति को दे सकता है।

(vii) कार्यक्रम अधिकारी लिखित में सभी जन प्रतिनिधियों तथा संबद्ध कर्मचारीवृंद जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे हैं उनको समय पूर्व अधिसूचित करता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें प्रक्रिया के बारे में जानकारी रहे और सामाजिक संपरीक्षा के समय वे उपस्थित रहें।

(viii) सामाजिक संपरीक्षा समिति ग्रामसभा में सार्वजनिक रूप से उसके निष्कर्षों को पढ़कर सुनाती हैं। व्यक्तियों को ग्राम पंचायत और संबद्ध पदाधिकारियों से जानकारी जानने और प्राप्त करने का अवसर भी देती हैं अभिलेखों का सत्यापन भी समिति द्वारा किया जाता है।

(ix) पूर्व सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट, प्रत्येक सामाजिक संपरीक्षा के प्रारंभ में पढ़ी जाती है।

(x) सचिव द्वारा बैठक की कार्रवाई का लेखन किया जाता है। सभी भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा सामाजिक संपरीक्षा के पूर्व और उसके पूरा होने के पश्चात हस्ताक्षरित किया जाता है। कोई असहमति या आक्षेप को बताया जाता है, तो उसे कार्यवृत में अभिलिखित किया जाता है।

(xi) सामाजिक संपरीक्षा जनता की भागीदारी के लिए खुली है ग्रामसभा से भिन्न कोई भी व्यक्ति सामाजिक संपरीक्षा की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप किए बिना प्रेक्षक के रूप में सामाजिक संपरीक्षा में उपस्थित हो सकता है।

(xii) सामाजिक संपरीक्षा किए जाने के एक मास के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट फाइल की जाती है।

(xiii) अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कोई निष्कर्ष शिकायत के रूप में समझा जाता है। उसके निष्कर्ष में किसी विवाद के लिए जांच संचालित की जाती है।

(xiv) किसी निधि विचलन के प्रकरण से संबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और निधियों की वसूली भी तेजी के साथ करने के प्रयास किये जाते हैं।

(xv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लेखों का प्रमाणन करते समय सरकारी संपरीक्षक लेखों का सत्यापन करने से पूर्व सामाजिक संपरीक्षा के माध्यम से उठाई गई वित्तीय अनियमितताओं या दुर्विनियोग के संबंध में किसी शिकायत का संज्ञान लेते हैं।

बैतूल जिले की ज.पं. घोड़ाडोगरी के ग्राम हीरापुर में डाक घर से मजदूरी का भुगतान।

ज.पं. बरई, जिला ग्वालियर बैंक द्वारा मजदूरी भुगतान।

4.2 योजना की निगरानी और अनुश्रवण :

योजना की निगरानी और अनुश्रवण के लिए ग्रामीण समुदाय की भागीदारी और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रबंध किए गए हैं।

4.2.1 सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति :

कार्यक्रम की देखरेख करने के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय को शामिल करने के लिये प्रत्येक गांव में स्थानीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समितियां गठित की गई हैं। समिति के सदस्यों द्वारा उनके ग्राम क्षेत्र में योजना के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है। समिति द्वारा बैठक की कार्यवाही को ग्रामसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिसे ग्रामसभा में पढ़कर सुनाया जाता है। समिति योजना के सभी कार्यों/पहलुओं की निगरानी करती है, जैसे– परिवारों का पंजीयन, जॉबकार्ड, कार्य स्थल पर मिलनेवाली सुविधाएं, कार्यस्थल पर मस्टर रोल का संधारण, कार्य संबंधी आय–व्यय, मजदूरी वितरण संबंधी अभिलेखों का संधारण आदि। समिति के सदस्य जनप्रतिनिधियों और ग्रामसभा के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को संपादित करते हैं। उनका यह दायित्व है कि कार्य के संचालन में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो। समिति प्रत्येक तीन माह में किए जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में ग्रामसभा को भी सहयोग करती है।

4.3 शिकायतों का निवारण :

केन्द्रीय सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची (2) के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :–

(क) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे गए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करते हैं। शिकायत की अभिस्वीकृति सम्यक रूप से संख्यांकित और तारीख सहित जारी करते हैं।

(ख) स्थल पर सत्यापन के माध्यम से जांच, निरीक्षण और निपटारा सात कार्यदिवसों के भीतर पूरा किया जाता है।

(ग) किसी ग्राम पंचायत द्वारा जो उस कार्यक्रम अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है, शिकायतों का इसके अंतर्गत अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतें भी आती हैं, उनका सात दिन के भीतर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निपटारा किया जाता है यदि उस दशा में जब शिकायत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हल किए जाने के विषय से संबंधित है, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारम्भिक जांच करेगा और विषय को ऐसे प्राधिकारी को शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए सात दिन के भीतर निर्दिष्ट करेगा।

(घ) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सात दिन के भीतर शिकायत का निपटारा करने में व्यतिक्रम होने पर अधिनियम के उपबंधो का उल्लंघन माना जाता है। अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय होता है। ऐसी चूक के विरुद्ध शिकायतें जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास फाइल की जाती है।

(ड़) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने की दशा में, जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल की जाए।

(च) राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या प्रतिनिर्देश से किसी शिकायत की जांच कर सकते हैं। जांच में दोषी साबित होने पर, दोषी पर अधिनियम की धारा 25 के अधीन शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं।

(छ) यदि संबद्ध प्राधिकारी यह पाता है कि हकदारी का उल्लंघन है, तो वह व्यक्ति पक्षकार को सूचना देते है और पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी शिकायत के समाधान के लिए उत्तरदायी है।

(ज) शिकायतकर्ता को आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचित किया जाता है। एक पखवाड़े में एक बार विहित फार्मेट में दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है।

(झ) कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही क्रमशः जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष रखी जाती है।

(ण) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील कार्यक्रम अधिकारी को की जाएगी और वे जो कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक को की जाएगी तथा जो जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध हैं, वे राज्य स्तर पर परिषद को प्रस्तुत की जाएगी।

(ट) कोई अपील आदेश पारित किए जाने की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर की जाएगी और उसकी प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किसी अपील का निपटारा किया जाएगा।

प्रदेश में वर्ष में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 6 सारणी क्रमांक 10 पर अंकित है।

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन

5 बजट प्रावधान :

5.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन ने ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र.'' का सृजन किया गया है। अकुशल श्रम हेतु आवश्यक सम्पूर्ण मजदूरी राशि का भुगतान केन्द्र शासन द्वारा किया जाता है। मजदूरी का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय वर्ष में कुल 6865633 बचत खाते खोले गए हैं। वित्तीय वर्ष में बैंक/पोस्ट ऑफिस के बचत खातों के माध्यम से 225863 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। (जिलेवार जानकारी का विवरण परिशिष्ट 7 पर, सारणी क्रमांक–11) सामग्री मद का 75 प्रतिशत केन्द्र शासन द्वारा, शेष 25 प्रतिशत राशि का राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – म.प्र. के तहत प्राप्त राज्यांश एवं केन्द्रांश का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

सारणी क्र. – 12

लाख में

क्र.	वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	मजदूरी में व्यय
1.	वर्ष 2007–08	260587.89	28950.84	40699.41	330238.14	289267.23	175182.01
2.	वर्ष 2008–09	384028.78	51210.98	49192.59	484432.35	355496.38	215621.80
3.	वर्ष 2009–10	396608.68	37251.93	158424.93	592285.54	377971.93	223139.53

(जिलेवार जानकारी की विवरण परिशिष्ट 7 पर, सारणी क्रमांक–13)

5.2 व्यय :

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। राज्य शासन द्वारा परिषद को प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है –

आवंटन व्यय लेखा–जोखा

सारणी क्र. – 14

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	शेष (प्राप्त आवंटन के विरूद्ध शेष)
1.	2007–08	800.00	223.00	577.00
2.	2008–09	900.00	239.00	661.00
3.	2009–10	300.00	354.00	(–)54

उपयोजनाएं

उपयोजनाएं

6.1 उपयोजना :

अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत कराए जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा उपयोजनाएं बनाई गई हैं। कार्यों की प्रकृति के आधार पर दैनिक रोजगार को टिकाऊ आजीविका में बदलने के प्रयास किए गए हैं। इनका मुख्य स्वरूप अधिनियम के लक्षित वर्ग की निजी और सामुदायिक भूमि पर बुनियादी विकास के कार्य करना हैं। हितग्राही मूलक कार्यों में – कपिल धारा, नंदन फलोद्यान, भूमि–शिल्प, रेशम, निर्मल वाटिका और मीनाक्षी उपयोजनाऐं शामिल हैं। सामुदायिक मूलक कार्यों में– शैल–पर्ण, वन्या, सहस्त्र धारा, निर्मल नीर, नालों पर श्रृंखलाबद्ध जलसंरचनाओं का निर्माण, लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों का रखरखाव और ग्रामीण क्रीड़ांगन की उपयोजनाएं हैं।

क्र.	उपयोजनाओं का नाम	प्रयोजन
1.	**हितग्राही मूलक कार्य :**	
	♦ कपिल धारा	♦ सिंचाई सुविधाओं का विकास
	♦ नंदन फलोद्यान	♦ बाग–बागान का विकास
	♦ भूमि–शिल्प	♦ भूमि सुधार
	♦ रेशम उपयोजना	♦ वृक्षारोपण को बहुउद्देशीय बनाना
	♦ निर्मल वाटिका	♦ वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार
	♦ मीनाक्षी	♦ सिंचाई सह मत्स्य पालन
2.	**सामुदायिक विकास मूलक कार्य :**	
	♦ नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध जलसंरचनाओं का निर्माण	♦ जल संरक्षण एवं संवर्धन
	♦ शैल–पर्ण	♦ भूमि विकास, जल संवर्धन
	♦ वन्या उपयोजना	♦ वृक्षारोपण को बहुउद्देशीय बनाना
	♦ सहस्त्र धारा	♦ सिंचाई सुविधा का विस्तार
	♦ निर्मल नीर	♦ पेयजल सुविधा
	♦ लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों के रखरखाव	♦ नहर निर्माण/सिंचाई
	♦ ग्रामीण क्रीड़ांगन	♦ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन

6.2 कपिलधारा उपयोजना :

कपिलधारा उपयोजना में निजी भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किये जाते हैं। इसके अंतर्गत नवीन कूप भू–जल पुर्नभरण सुविधा सहित, खेत तालाब, मेसोनरी चेक–डेम, स्टॉप–डेम, रन ऑफ मैनेंजमेंट स्ट्रक्चर (आरएमएस), लघु तालाब का निर्माण कराया जाता है। उपयोजना के तहत अब तक 1.65 लाख कार्य पूर्ण हुए हैं। पूर्ण कार्यों से 3.30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है।

राजपति सिंह की भूमि पर बना कपिलधारा
कूप–ग्रा.पं नौगवां धीर सिंह, जिला सीधी

जमील खान, ग्राम पंचायत चैनपुर सरकार, ज.पं. खालवा, जिला खण्डवा।

रामेश्वर–जसतलाल, ग्राम पंचायत साकादेही, जिला बैतूल।

खण्डवा जिले की ज.पं. बलड़ी के ग्राम कुक्षी रैयत का खुशहाल परिवार।

6.3 नंदन फलोद्यान उपयोजना :

नंदन फलोद्यान उपयोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को आय–सृजन का स्थाई स्त्रोत उपलब्ध कराना है। उपयोजना में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने के लिए उत्तम गुणवत्ता के पौधें उपलब्ध कराऐ जाते हैं। उपयोजनांतर्गत कृषक के पास सिंचाई सुविधा होना जरूरी है, यदि सुविधा नहीं है तो कपिलधारा उपयोजना से भी लाभान्वित किया जाता है। इस उपयोजना के तहत आम, आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू आदि वृक्षों के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे लगाए जाते हैं। उपयोजना अंतर्गत अब तक 1,04,217 हितग्राही चयनित किए गये हैं। कुल 28,985 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 80.77 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

बैतूल जिले की जनपद पंचायत आठनेर की ग्राम पंचायत तेलबेहरा का नंदन फलोद्यान।

नारायण भोसले, ग्राम पंचायत हैदरपुर, जं.पं. खकनार, जिला बुरहानपुर।

6.4 भूमि–शिल्प उपयोजना :

भूमि–शिल्प उपयोजना कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि सुधार के कार्यों से संबंधित है। इसके तहत उपजाऊ भूमि से इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने और कृषि योग्य पड़त भूमि को कृषि योग्य बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। योजना में भूमि विकास के अंतर्गत प्रक्षेत्रिय मेढ़ बंधान के कार्य कराए जाते हैं। अब तक उपयोजना के तहत 2,68,691 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

भोपाल जिले की ज.पं. बैरसिया ग्राम पंचायत बागसी में भूमि सुधार का कार्य करते हुए श्रमिक।

चिरोंजीलाल ग्राम पंचायत ईमलिया नरेन्द्र, ज.पं. बैरसिया, जिला भोपाल।

6.5 रेशम उपयोजना :

रेशम उपयोजना का उद्देश्य हितग्राही की निजी भूमि पर शहतूत प्रजाति के वृक्षारोपण को बहुउद्देशीय गतिविधि में शामिल कराना है। रेशम संचालनालय द्वारा रेशम उत्पादन के लिए अनुशंसित जिलों में यह उपयोजना संचालित है। उपयोजनांतर्गत अब तक 400 हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूत प्रजाति के 46.60 लाख पौधे निजी/सामुदायिक भूमि पर रोपित किए गए हैं।

ग्राम मोहगांव, जनपद पंचायत समनापुर, जिला डिण्डौरी में
रेशम कीट पालन हेतु किया जा रहा पौधरोपण

ग्राम मोहगांव, जनपद पंचायत समनापुर, जिला डिण्डौरी में
रेशम कीट पालन हेतु शहतूत के पोधों को देखता हुआ हितग्राही

6.6 निर्मल–वाटिका उपयोजना :

निर्मल–वाटिका उपयोजना का संचालन समग्र स्वच्छता अभियान को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य समग्र स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित करना है। योजना में अभियान के तहत बनने वाले शौचालय में एक जोड़ी लीच पिट बनाना और पर्यावरण सुधार के लिए पांच बहुउद्देश्यीय वृक्षों का पौधरोपण कराना है। उपयोजनांतर्गत अब तक 11,027 गांवों में 2,15,390 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

ग्राम रेमापुर, ज.पं. छैगांव माखन, जिला खण्डवा।

ग्राम जूनापानी, ज.पं. खालवा, जिला खण्डवा।

6.7 मीनाक्षी उपयोजना :

मीनाक्षी उपयोजना के तहत अधिनियम के पात्र हितग्राही की निजी भूमि पर बने सिंचाई तालाब अथवा पोखर द्वारा सिंचाई के साथ ही मत्स्य पालन और मत्स्य बीज उत्पादन की अतिरिक्त गतिविधि द्वारा आजीविका का सुदृढीकरण किया जाता है। उपयोजना के तहत आधे से एक हेक्टेयर के लघु तालाब अथवा मत्स्य बीज उत्पादन के लिए 0.1 और 0.2 हेक्टेयर नर्सरी तालाब (पोखर) का निर्माण कराया जाता है। योजनांतर्गत प्रदाय की जाने वाली मछलियां कतला, रोहू एवं मृगल प्रजातियों की होती है। उपयोजनांतर्गत अब तक 94.6 हेक्टेयर जलभरण क्षेत्र विकसित किया गया है।

भद्देलाल ग्राम पंचायत मुडिया रिचका, जिला मण्डला।

महुलियापुरा निस्तार तालाब, ग्राम देदली (के) ज.पं. गंधवानी, जिला धार।

6.8 शैल–पर्ण उपयोजना :

शैल–पर्ण उपयोजना का उद्देश्य वनस्पति विहीन पहाड़ियों और टीलों का उपचार करना है। इसके तहत वनस्पति विहीन पहाड़ियों और टीलों पर वर्षा जल और मिट्टी कटाव को रोकने हेतु पहाड़ियों पर छोटी नाली बनाने, चारागाह का विकास करने एवं जलाऊ लकड़ी के पौधरोपण के कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही पशु अवरोधक खंती का निर्माण भी कराया जाता है।

डिण्डौरी जिले की ज.पं. शहपुरा की ग्राम पंचायत दुर्गा टेकरी में पौध रोपण कार्य।

6.9 सहस्त्र धारा उपयोजना :

सहस्त्र धारा उपयोजना का लक्ष्य कोलाबे से खेत तक पानी पहुँचाना है। जल संसाधन, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त सिंचाई परियोजनाओं पर इस योजना के तहत कार्य किए जा सकते हैं। उपयोजना अंतर्गत कोलाबे से खेत तक और खेत के अंतर्गत भी छोटी–छोटी नालियों का निर्माण कराया जाता है। उपयोजनांतर्गत अब तक 681 किलोमीटर से अधिक लंबाई के फील्ड चैनल बनाए गए हैं। योजना के तहत 9422 हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र विकसित हुआ है।

सतना जिले में सहस्त्रधारा योजनांतर्गत कराये गये कार्य।

6.10 निर्मल नीर उपयोजना :

निर्मल नीर उपयोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जल आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की जाती है। पेय जल, निस्तार, पशु पेयजल सुविधाओं के विकास, जल स्त्रोतों एवं सरंचनाओं के पुनरुद्धार के कार्य कराए जाते हैं। उपयोजनांतर्गत अब तक 12,222 गांवों में 33,274 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

ग्राम पंचायत कोयलारी, ज.पं. आठनेर, जिला बैतूल।

6.11 नदी–नालों पर श्रंखलाबद्ध जल सरंचनाओं का निर्माण :

इस उपयोजना का उद्देश्य वर्षा ऋतु में बहकर व्यर्थ जाने वाले जल का संग्रहण और संवर्द्धन करना है। उपयोजना अंतर्गत ऐसे नदी–नाले चयनित किए जाते हैं जिनमें उपलब्ध पानी क्षेत्र की फसल की सिंचाई की आवश्यकता के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो, इसके साथ ही ऐसे नदी–नाले चयनित किए जाते हैं जिनमें अपेक्षाकृत मध्यम एवं कम ढाल रहता है। उपयोजना के तहत अब तक 6,235 जल संरचनाओं का निर्माण हुआ है।

ग्राम साजवा, ज.पं. हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा।

6.12 लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों के रखरखाव :

नहरों का रखरखाव।

शासकीय एवं ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में निर्मित कई तालाब एवं नहरें रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी अथवा बहुत कम उपयोगी हैं। ऐसी नहरें और तालाब इस उपयोजना अंतर्गत लिये जाते हैं। उनकी रूपांकित क्षमता के लिए तालाब एवं नहरों के सेक्शन, पिचिंग, स्लूस, वेस्ट वियर, सड़क के रूप में उपयोग किये जा रहे नहरों के किनारों आदि का सुधार व नहर की तलहटी से गाद निकालने के कार्य किये जाते हैं। उपयोजना के तहत नहरों के रखरखाव के अब तक 240 कार्यों से 95.52 किलोमीटर लंबी नहरों की मरम्मत एवं 721 तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है।

6.13 वन्या उपयोजना :

वन्या उपयोजना में वृक्षारोपण की गतिविधि को बहुउद्देशीय बनाने के कार्य और टसर पौधें जैसे – अर्जुन और साज के पौधरोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा अर्जुन तथा साज के पौधों का रोपण राजस्व भूमि, वन भूमि एवं पंचायत/सामुदायिक भूमि पर किया जाता है। उपयोजना अंतर्गत अब तक 216 हेक्टेयर भूमि पर अर्जुन एवं साज के 5.341 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

ग्वालियर जिले की ज.पं. बर्रई (घाटी गांव) की ग्राम पंचायत रायपुर में पौधरोपण।

बैतूल जिले की जनपद पंचायत घोड़ा डोगरी में पौध रोपण का कार्य करते श्रमिक।

6.14 ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना :

ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का उद्देश्य ग्रामीण खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देना है। इस उपयोजना के तहत ग्रामों में खेल मैदान विकसित किए जाते हैं। ''भूमि विकास कार्य'' के तहत चयनित स्थानों का समतलीकरण कर खेल मैदान विकसित किए जाते हैं।

6.15 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उपयोजना :

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उपयोजना के तहत ग्रामीण बसाहटों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बारहमासी सड़क संपर्क पहुंच मार्ग बनाए जाएंगे। सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी वाले और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाली बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2013 तक की कार्ययोजना में शामिल नहीं हुए हैं उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

6.16 समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है :–

1 समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की अवधारणा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य शासन के ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के समन्वय द्वारा खेती को लाभप्रद एवं ग्रामीण एवं ग्रामीणों की आजीविका के लिए स्थायी अवसरों का सृजन।

2 समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट का सिद्धांत : समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की अवधारणा जलग्रहण क्षेत्र विकास के सिद्धांत पर आधारित है।

3 समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट की अवधारणा का लक्ष्य : गांव के सकल रकबे (निजी तथा शासकीय भूमि) की उत्पादकता में टिकाऊ वृद्धि करना एवं गांव में पानी की इष्टतम टिकाऊ उपलब्धता सुनिश्चित कर, खेती को लाभप्रद बनाना। सामुदायिक/शासकीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास कर खेतिहर मजदूरों, लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए गांव में ही आजीविका के टिकाऊ/स्थायी अवसर उपलब्ध कराना।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद अधीनस्थ कार्यालय की संरचना (मुख्यालय स्तर)

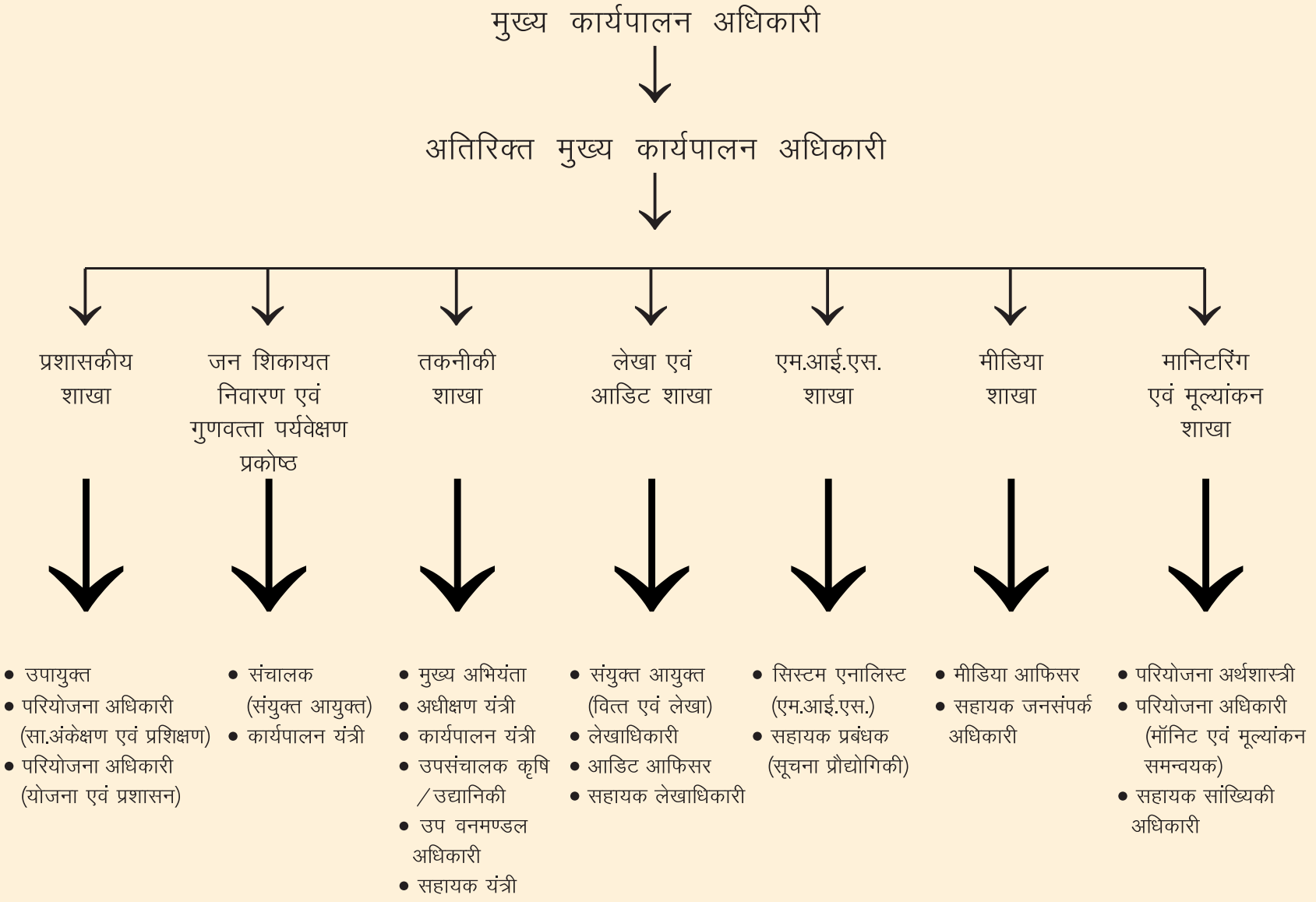

संभाग स्तर

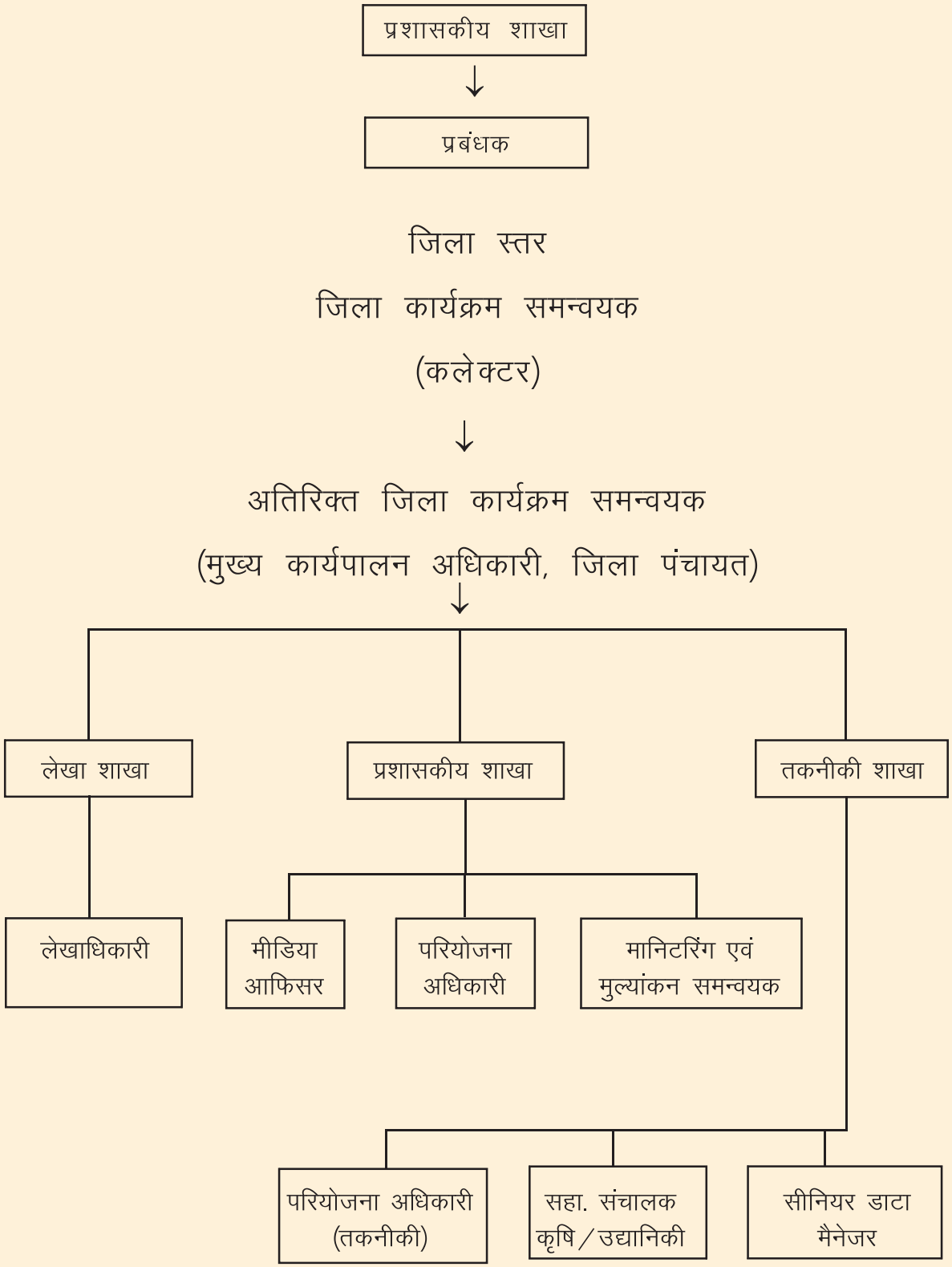
प्रशासकीय शाखा
↓
प्रबंधक
जिला स्तर
जिला कार्यक्रम समन्वयक
(कलेक्टर)
↓
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)
↓
लेखा शाखा
प्रशासकीय शाखा
तकनीकी शाखा
लेखाधिकारी
मीडिया आफिसर
परियोजना अधिकारी
मानिटरिंग एवं मुल्यांकन समन्वयक
परियोजना अधिकारी (तकनीकी)
सहा. संचालक कृषि/उद्यानिकी
सीनियर डाटा मैनेजर

जनपद स्तर

कार्यक्रम अधिकारी

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)

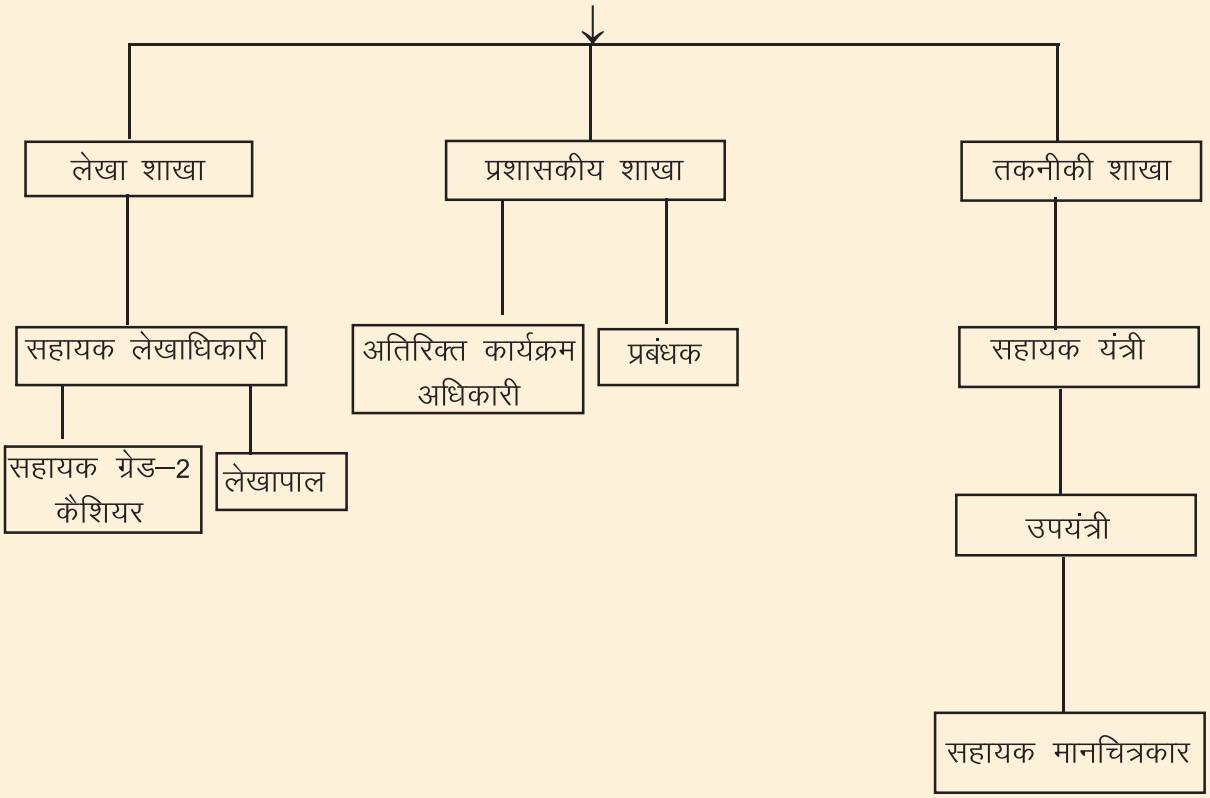

ग्राम पंचायत

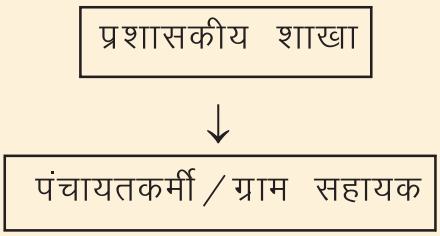

वर्ष 2009–10 में योजनांतर्गत पदस्थ अमले की विस्तृत जानकारी

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद अंतर्गत पदस्थ अमले की जानकारी

मुख्यालय स्तर

सारणी क्र. – 1

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
प्रशासकीय शाखा :				
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	1	0
2	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	1	0	1
3	उपायुक्त	1	1	0
4	परियोजना अधिकारी (योजना एवं प्रशासन)	1	1	0
5	परियोजना अधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण)	1	0	1
मानीटरिंग एवं मूल्यांकन शाखा :				
6	परियोजना अर्थशास्त्री	1	0	1
7	परियोजना अधिकारी (मानीटरिंग एवं मूल्यांकन समन्वयक)	1	0	1
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
तकनीकी शाखा :				
9	मुख्य अभियंता	1	1	0
10	अधीक्षण यंत्री	2	2	0
11	कार्यपालन यंत्री	2	0	2
12	सहायक यंत्री	5	2	3
13	उपसंचालक कृषि/उद्यानिकी	1	1	0
14	उप वनमण्डल अधिकारी	1	0	1
जनशिकायत निवारण एवं गुणवत्ता पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ :				
15	संचालक (संयुक्त आयुक्त) जनशिकायत	1	1	0
16	कार्यपालन यंत्री	3	1	2

लेखा शाखा :				
17	संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)	1	1	0
18	लेखाधिकारी	1	1	0
19	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1
20	आडिट आफीसर	1	1	0
21	आडीटर	4	1	3
22	लेखापाल	2	1	1
मीडिया शाखा :				
23	मीडिया अधिकारी	1	1	0
24	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	1	1	0
एम.आई.एस. शाखा :				
25	सिस्टम एनालिस्ट (एम.आई.एस.)	1	1	0
26	सहायक प्रबंधक (सूचना प्रोद्यौगिकी)	2	2	0
कार्यालय स्टॉफ :				
27	अधीक्षक	1	1	0
28	वरिष्ठ स्टेनोग्राफर	2	1	1
29	स्टेनोग्राफर	7	4	3
30	सहायक ग्रेड–1	6	4	2
31	सहायक ग्रेड–2	8	4	4
32	कार्यालय सहायक	22	18	4
33	डाटा एन्ट्री आपरेटर	25	9	16
34	वाहन चालक	2	1	1
35	डाक वाहक (आउटसोर्स)	5	5	0
36	सुरक्षा गार्ड (आउटसोर्स)	5	5	0
37	भृत्य (आउटसोर्स)	23	23	0
	योग	**146**	**98**	**48**

नोट :– सरल क्र. 35, 36 एवं 37 में दर्शित कुल 33 पदों की सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से ली गई है।

सारणी क्र. – 2

	संभाग स्तर			
1	प्रबंधक	10	4	6
2	डाटा एन्ट्री आपरेटर	10	2	8
3	सहायक ग्रेड–3	10	5	5
	योग	30	11	19
	जिला स्तर			
1.	परियोजना अधिकारी (प्रशा.)	50	32	18
2.	परियोजना अधिकारी (तक.)	50	6	44
3.	लेखाधिकारी	50	42	8
4.	आडिटर	100	58	42
5.	लेखापाल	50	22	28
6.	सीनियर डाटा मैनेजर	50	38	12
7.	मानिटरिंग एवं मूल्यांकन समन्वयक	50	14	36
8.	मीडिया आफिसर	50	17	33
9.	सहायक संचालक कृषि/उद्यानिकी	50	18	32
	योग	500	247	253
	जनपद स्तर			
1.	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी	313	277	36
2.	प्रबंधक	141	127	14
3.	डाटा एन्टी आपरेटर	626	349	277
4.	सहायक यंत्री	313	227	86
5.	उपयंत्री	1565	1056	509
6.	सहायक मानचित्रकार	313	212	101
7.	सहायक लेखाधिकारी	313	239	74
8.	लेखापाल	313	223	90
9.	सहायक ग्रेड–2 केशियर	313	219	94
	योग	4210	2929	1281

♦ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की स्थापना में पदस्थ सहायक/उपयंत्रियों से कार्य कराया जा रहा है।

सारणी क्र. – 3

प्रशिक्षण संस्था

वर्ष 2009–10

क्र.	विवरण	संस्था / केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण सत्र संख्या	उपस्थित प्रतिभागी
1.	शासकीय अधिकारी / कर्मचारी	एम.जी.एस.आई.आर.डी., जबलपुर	405	16048
2.	––''––	वाल्मी भोपाल	31	799
3.	सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति	MGSIRD+ पंचायतीराज	1329	46669
	योग		1765	63516

योजनांतर्गत सृजित रोजगार (वर्ष 2009–10)

सारणी क्र. – 4

क्र.	नाम जिला	अजा के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	अजजा के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	अन्य वर्गों के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	महिलाओं के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)
1.	बालाघाट	17.15	43.07	75.68	135.9	77.75
2.	बड़वानी	19.29	124.29	17.37	160.95	56.77
3.	बैतूल	14.29	46.8	22.13	83.22	37.84
4.	छतरपुर	14.17	3.75	22.69	40.61	13.47
5.	धार	12.49	101.91	26.75	141.15	85.48
6.	डिण्डौरी	5.12	53.35	27.46	85.93	38.67
7.	खंडवा	21.38	43.91	44.36	109.65	44.17
8.	झाबुआ	1.85	95.45	8.1	105.4	51.62
9.	खरगौन	17.52	39.75	26.95	84.22	28.05
10.	मंडला	9.49	100.75	44.05	154.29	81.29
11.	सतना	28.74	29.14	35.81	93.69	35.6
12.	सिवनी	18.52	35	37.54	91.06	36.91
13.	शहडोल	11.58	59.97	44.25	115.8	48.64
14.	श्योपुर	4.4	9.29	17.36	31.05	11.87
15.	शिवपुरी	17.11	22.07	16	55.18	18.78
16.	सीधी	33.85	44.68	56.89	135.42	78.54
17.	टीकमगढ़	25.71	14.43	31.14	71.28	23.65
18.	उमरिया	9.77	60.32	14.87	84.96	53.52
19.	अनुपपुर	12.96	76.58	28.28	117.82	60.91
20.	अशोकनगर	2.29	2.4	2.7	7.39	2.76
21.	बुरहानपुर	2.07	6.31	3.82	12.2	4.89
22.	छिंदवाड़ा	7.45	37.21	15.93	60.59	22.76
23.	दमोह	8.01	6.59	15.77	30.37	12.32

क्र.	नाम जिला	अजा के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	अजजा के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	अन्य वर्गों के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)	महिलाओं के लिए कुल सृजित रोजगार (लाख मानव दिवस)
24.	दतिया	1.96	0.17	1.91	4.04	0.78
25.	देवास	15.19	12.74	14.12	42.05	16.57
26.	गुना	9.22	8.48	25.94	43.64	18.11
27.	हरदा	1.2	1.51	1.63	4.34	1.63
28.	कटनी	9.46	11.1	13.87	34.43	17
29.	पन्ना	18.4	14.07	27.46	59.93	24.52
30.	राजगढ़	14.25	5.39	49.06	68.7	23.7
31.	रीवा	15.49	14.58	31.27	61.34	25.14
32.	भिण्ड	0.97	0	0.74	1.71	0.16
33.	भोपाल	2.55	1.47	3.41	7.43	3.55
34.	ग्वालियर	3.69	2.1	6.22	12.01	3.16
35.	होशंगाबाद	1.64	2.16	1.83	5.63	1.79
36.	इन्दौर	3.59	3	11.58	18.17	6.71
37.	जबलपुर	7.15	10.02	11.46	28.63	14.3
38.	मंदसौर	10.26	0.88	15.61	26.75	8.82
39.	मुरैना	0.73	2.65	10.17	13.55	2.46
40.	नरसिंहपुर	5.94	5.3	9.44	20.68	6.97
41.	नीमच	1.22	1.28	3.64	6.14	2.15
42.	रायसेन	3.13	2.4	6.25	11.78	4.95
43.	रतलाम	3.71	14.7	10.31	28.72	11.36
44.	सागर	15.7	10.27	28.98	54.95	17.8
45.	सीहोर	4.18	4.34	7.78	16.3	5.42
46.	शाजापुर	8.13	0.9	9.04	18.07	18.07
47.	उज्जैन	8.9	0.3	8.24	17.44	6.27
48.	विदिशा	2.48	1.42	4.66	8.56	3.73
	कुल योग	484.35	1188.25	950.52	2623.12	1171.38

जिलेवार प्रदाय किया गया रोजगार का विवरण

(वर्ष 2009–10)

सारणी क्र. – 5

क्र.	जिला	माँग करने पर रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार (संख्या)	वर्ष में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या
1.	बालाघाट	228746	57846
2.	बड़वानी	194591	50908
3.	बैतूल	147633	35759
4.	छतरपुर	102368	12377
5.	धार	172912	50385
6.	डिण्डौरी	95767	37202
7.	खंडवा	135841	31540
8.	झाबुआ	140315	40170
9.	खरगौन	152217	25454
10.	मंडला	173414	57369
11.	सतना	161432	13503
12.	सिवनी	161855	11749
13.	शहडोल	162520	15001
14.	श्योपुर	51472	2590
15.	शिवपुरी	125098	4222
16.	सीधी	308640	108540
17.	टीकमगढ़	133092	21807
18.	उमरिया	121345	41831
19.	अनुपपुर	122927	49272
20.	अशोकनगर	15952	215
21.	बुरहानपुर	37549	889
22.	छिंदवाड़ा	163855	8404
23.	दमोह	90428	2290
24.	दतिया	14289	91

क्र.	जिला	माँग करने पर रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार (संख्या)	वर्ष में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या
25.	देवास	96970	5602
26.	गुना	80694	5650
27.	हरदा	17102	291
28.	कटनी	108005	2261
29.	पन्ना	108274	8319
30.	राजगढ़	168849	8629
31.	रीवा	133250	3125
32.	भिण्ड	6170	58
33.	भोपाल	20922	511
34.	ग्वालियर	27018	610
35.	होशंगाबाद	32132	202
36.	इंदौर	32573	1286
37.	जबलपुर	80808	647
38.	मंदसौर	57713	4014
39.	मुरैना	43100	1220
40.	नरसिंहपुर	48675	712
41.	नीमच	17081	809
42.	रायसेन	29298	599
43.	रतलाम	86957	3090
44.	सागर	163294	2316
45.	सीहोर	50123	791
46.	शाजापुर	36336	7
47.	उज्जैन	32203	942
48.	विदिशा	30604	413
	योग	4722409	731518

योजना अंतर्गत ग्रामीण अंचल में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किये गये बुनियादी विकास के पूर्ण कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी क्र. – 7

क्र.	पूर्ण कार्य का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
1	जल संरक्षण और जल शस्य संचय;	43856	20866	18162
2	सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण है);	7084	13276	17590
3	सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है;	2716	1976	2955
4	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध;	32440	87161	126016
5	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अंतर्गत जल शुद्धिकरण भी है;	4183	3912	4916
6	भूमि विकास;	25553	39510	49261
7	बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है;	602	1499	1604
8	सभी मौसमों में पहुँच का उपबंध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता;	19569	16664	20526
9	कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।	0	0	0
	कुल योग	136003	184864	241030

योजना अंतर्गत ग्रामीण अंचल में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किये गये बुनियादी विकास के प्रगतिरत कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी क्र. – 8

क्र.	प्रगतिरत कार्य का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2007–08	वित्तीय वर्ष 2008–09	वित्तीय वर्ष 2009–10
1	जल संरक्षण और जल शस्य संचय;	22028	31284	35749
2	सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण है);	17824	46217	69969
3	सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है;	5606	4422	5410
4	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध;	94800	133134	103728
5	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अंतर्गत जल शुद्धिकरण भी है;	4782	6286	5971
6	भूमि विकास;	30959	52475	48460
7	बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है;	328	1543	2374
8	सभी मौसमों में पहुँच का उपबंध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता;	29199	38296	40208
9	कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।	0	0	0
	कुल योग	205526	313657	311869

वित्तीय वर्ष 2009–10 में क्षतिपूर्ति राशि का विवरण

सारणी क्र.–9

क्र.	जिला	दुर्घटना में मृत श्रमिकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि	दुर्घटना में घायल श्रमिकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
1.	बालाघाट	02	50,000	01	निरंक
2.	बड़वानी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	बैतूल	04	1,00,000	08	28,500
4.	छतरपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धार	02	50,000	01	15,000
6.	डिण्डौरी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7.	खंडवा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8.	झाबुआ	01	25,000	01	7300
9.	खरगौन	01	25,000	07	21,410
10.	मंडला	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
11.	सतना	03	75,000	08	68,254
12.	सिवनी	02	50,000	05	16446
13.	शहडोल	02	50,000	07	50,000
14.	श्योपुर	01	25,000	निरंक	निरंक
15.	शिवपुरी	01	25,000	निरंक	निरंक
16.	सीधी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
17.	टीकमगढ़	निरंक	निरंक	01	10,000
18.	उमरिया	निरंक	निरंक	02	10,000
19.	अनुपपुर	01	25,000	निरंक	निरंक
20.	अशोकनगर	02	50,000	निरंक	निरंक
21.	बुरहानपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22.	छिंदवाड़ा	04	1,00,000	05	32,515
23.	दमोह	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24.	दतिया	01	25,000	निरंक	निरंक

क्र.	जिला	दुर्घटना में मृत श्रमिकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि	दुर्घटना में घायल श्रमिकों की संख्या	क्षतिपूर्ति की राशि
25.	देवास	निरंक	निरंक	04	1,25,364
26.	गुना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27.	हरदा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
28.	कटनी	02	50,000	05	33,685
29.	पन्ना	02	50,000	निरंक	निरंक
30.	राजगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
31.	रीवा	निरंक	निरंक	01	25,000
32.	भिण्ड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
33.	भोपाल	निरंक	निरंक	4	16,706
34.	ग्वालियर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
35.	होशंगाबाद	02	50,000	01	17,324
36.	इन्दौर	01	25,000	निरंक	निरंक
37.	जबलपुर	निरंक	निरंक	01	15,000
38.	मंदसौर	निरंक	निरंक	01	3,000
39.	मुरैना	02	50,000	01	10,000
40.	नरसिंहपुर	02	50,000	निरंक	निरंक
41.	नीमच	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
42.	रायसेन	01	25,000	निरंक	निरंक
43.	रतलाम	03	75,000	निरंक	निरंक
44.	सागर	02	50,000	निरंक	निरंक
45.	सीहोर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
46.	शाजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
47.	उज्जैन	निरंक	निरंक	01	12,035
48.	विदिशा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	कुल योग	44	11,00,000	65	5,17,539

वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्राप्त शिकायतें एवं निराकरण

सारणी क्र.–10

क्र.	जिला	कुल शिकायतों की संख्या	निराकृत संख्या	शेष
1.	बालाघाट	22	03	19
2.	बड़वानी	12	03	09
3.	बैतूल	20	04	16
4.	छतरपुर	39	0	39
5.	धार	23	01	22
6.	डिण्डौरी	16	0	16
7.	खंडवा	26	03	23
8.	झाबुआ	10	0	10
9.	खरगौन	24	04	20
10.	मंडला	08	01	07
11.	सतना	57	02	55
12.	सिवनी	20	01	19
13.	शहडोल	19	0	19
14.	श्योपुर	13	0	13
15.	शिवपुरी	22	06	16
16.	सीधी	39	01	38
17.	टीकमगढ़	64	06	58
18.	उमरिया	08	0	08
19.	अनुपपुर	04	01	03
20.	अशोकनगर	15	01	14
21.	बुरहानपुर	08	01	07
22.	छिंदवाड़ा	21	04	17
23.	दमोह	14	03	11
24.	दतिया	11	02	09
25.	देवास	22	05	17
26.	गुना	09	01	08

क्र.	जिला	कुल शिकायतों की संख्या	निराकृत संख्या	शेष
27.	हरदा	09	0	09
28.	कटनी	13	01	12
29.	पन्ना	10	02	08
30.	राजगढ़	30	05	25
31.	रीवा	50	02	48
32.	भिण्ड	11	01	10
33.	भोपाल	21	02	19
34.	ग्वालियर	06	01	05
35.	होशंगाबाद	02	01	01
36.	इन्दौर	14	02	12
37.	जबलपुर	09	03	06
38.	मंदसौर	08	0	08
39.	मुरैना	09	0	09
40.	नरसिंहपुर	08	03	05
41.	नीमच	09	0	09
42.	रायसेन	23	10	13
43.	रतलाम	10	04	06
44.	सागर	19	02	17
45.	सिहोर	08	01	07
46.	शाजापुर	10	0	10
47.	उज्जैन	06	01	05
48.	विदिशा	06	0	06
	कुल योग	837	94	743

प्रदेश में वर्ष 2009–10 में जिलेवार बैंक/पोस्ट ऑफिस के बचत खातों की जानकारी

सारणी क्र.–11

क्र.	जिला	बैंक के बचत खातों की संख्या	पोस्ट ऑफिस के बचत खातों की संख्या	कुल बचत खातों की संख्या	बचत खातों के माध्यम से भुगतान राशि (रु. लाख में)
1.	बालाघाट	112795	92974	205769	12911
2.	बड़वानी	195093	0	195093	13668
3.	बैतूल	260116	8159	268275	7735
4.	छतरपुर	160165	9919	170084	3443
5.	धार	186198	31487	217685	9320
6.	डिण्डौरी	57357	74706	132063	7260
7.	खंडवा	154418	5412	159830	8091
8.	झाबुआ	192150	15271	207421	9938
9.	खरगौन	205378	18099	223477	7331
10.	मंडला	148055	37679	185734	10913
11.	सतना	274904	0	274904	7267
12.	सिवनी	69954	179596	249550	7293
13.	शहडोल	211492	553	212045	7223
14.	श्योपुर	51236	12729	63965	2787
15.	शिवपुरी	188497	1623	190120	5047
16.	सीधी	385530	0	385530	16965
17.	टीकमगढ़	97536	41524	139060	7137
18.	उमरिया	104173	28104	132277	7978
19.	अनुपपुर	125999	4778	130777	7795
20.	अशोकनगर	35990	930	36920	676
21.	बुरहानपुर	61316	5893	67209	1135
22.	छिंदवाड़ा	164440	15011	179451	5440
23.	दमोह	130705	24782	155487	2763

क्र.	जिला	बैंक के बचत खातों की संख्या	पोस्ट ऑफिस के बचत खातों की संख्या	कुल बचत खातों की संख्या	बचत खातों के माध्यम से भुगतान राशि (रु. लाख में)
24.	दतिया	8311	11153	19464	366
25.	देवास	99237	0	99237	3914
26.	गुना	83694	34910	118604	3550
27.	हरदा	45206	7365	52571	422
28.	कटनी	127274	19059	146333	2972
29.	पन्ना	112916	0	112916	5634
30.	राजगढ़	167943	22144	190087	6317
31.	रीवा	214597	0	214597	5602
32.	भिण्ड	18126	4148	22274	251
33.	भोपाल	23972	8571	32543	656
34.	ग्वालियर	27893	5015	32908	1093
35.	होशंगाबाद	132606	14876	147482	486
36.	इन्दौर	52060	6953	59013	1685
37.	जबलपुर	92784	1127	93911	2701
38.	मंदसौर	96560	22045	118605	2570
39.	मुरैना	63754	51	63805	1329
40.	नरसिंहपुर	60054	19589	79643	1922
41.	नीमच	50426	12448	62874	590
42.	रायसेन	38929	22343	61272	1142
43.	रतलाम	171705	18644	190349	2417
44.	सागर	194673	14956	209629	4671
45.	सीहोर	178997	0	178997	1384
46.	शाजापुर	175041	11211	186252	1747
47.	उज्जैन	67965	8031	75996	1525
48.	विदिशा	105621	7924	113545	801
	कुल योग	59,83,841	8,81,792	68,65,633	2,25,863

प्रदेश में वर्ष 2009–10 में जिलेवार प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी

सारणी क्र. 13

क्र.	जिला	केन्द्रांश लाखों में	राज्यांश लाखों में	अन्य लाखों में	कुल उपलब्ध राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में	शेष राशि लाखों में (वर्ष में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध शेष)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बालाघाट	14236.55	2176.28	4651.22	21064.05	18250.44	2813.61
2	बड़वानी	15669.96	2002.22	7060.57	24732.75	21437.77	3294.98
3	बैतूल	10600.00	1600.00	5630.14	17830.14	12604.18	5225.96
4	छतरपुर	8000.00	922.22	7296.89	16219.11	6994.19	9224.92
5	धार	10200.00	1777.78	10844.56	22822.34	15517.60	7304.74
6	डिण्डोरी	10527.87	906.89	897.21	12331.97	11433.93	898.04
7	खण्डवा	11229.65	1281.07	7962.00	20472.72	13654.57	6818.15
8	झाबुआ	15762.46	1589.48	1436.82	18788.76	16552.80	2235.96
9	खरगोन	12052.50	1561.39	7590.87	21204.76	12215.80	8988.96
10	मण्डला	20757.80	1839.64	145.62	22743.06	17949.24	4793.82
11	सतना	14232.98	1364.77	810.00	16407.75	12474.64	3933.11
12	सिवनी	5700.00	811.11	10033.69	16544.80	10804.59	5740.21
13	शहडोल	2000.00	500.00	12773.20	15273.20	12354.94	2918.26
14	श्योपुर	5600.00	622.22	3621.94	9844.16	4555.47	5288.69
15	शिवपुरी	10878.92	1069.88	6280.64	18229.44	8118.86	10110.58
16	सीधी	20708.64	2778.83	1220.48	24707.95	25826.55	-1118.60
17	टीकमगढ़	12621.72	1369.08	5803.68	19794.48	11134.82	8659.66
18	उमरिया	14604.81	1483.87	846.41	16935.09	13273.12	3661.97
19	अनूपपुर	13166.61	1162.96	1065.78	15395.35	13076.10	2319.25
20	अशोकनगर	942.67	0.00	1480.70	2423.37	1262.57	1160.80
21	बुरहानपुर	3421.94	102.88	2565.08	6089.90	2191.21	3898.69
22	छिन्दवाड़ा	8500.00	1188.89	6748.82	16437.71	10339.83	6097.88
23	दमोह	4500.00	500.00	3801.86	8801.86	4849.56	3952.30
24	दतिया	2000.00	222.22	795.43	3017.65	715.40	2302.25
25	देवास	8540.53	960.05	5035.40	14535.98	9214.96	5321.02
26	गुना	7000.00	777.78	3629.99	11407.77	6431.50	4976.27
27	हरदा	3500.00	113.77	744.20	4357.97	971.38	3386.59
28	कटनी	5000.00	555.56	3783.92	9339.48	6130.39	3209.09
29	पन्ना	9496.48	455.16	2035.36	11987.00	9235.60	2751.40
30	राजगढ़	11460.52	1123.39	572.30	13156.21	10528.93	2627.28
31	रीवा	4000.00	585.00	8698.53	13283.53	9420.09	3863.44
32	भिण्ड	1200.00	105.19	549.43	1854.62	407.40	1447.22
33	भोपाल	2200.00	61.60	768.62	3030.22	1514.68	1515.54
34	ग्वालियर	2200.00	0.00	900.35	3100.35	1934.24	1166.11
35	होशंगाबाद	1800.00	0.00	1704.46	3504.46	1207.21	2297.25
36	इन्दौर	2978.54	330.95	585.88	3895.37	2920.99	974.38
37	जबलपुर	5798.00	403.02	1391.78	7592.80	4232.17	3360.63
38	मन्दसौर	5492.93	610.33	1761.31	7864.57	4790.15	3074.42
39	मुरैना	3627.68	221.94	1591.43	5441.05	2189.87	3251.18
40	नरसिंहपुर	4607.40	297.11	729.53	5634.04	2800.46	2833.58
41	नीमच	2000.00	171.00	561.63	2732.63	949.64	1782.99
42	रायसेन	3600.00	19.57	927.32	4546.89	2253.50	2293.39
43	रतलाम	5691.52	632.39	810.95	7134.86	4024.95	3109.91
44	सागर	7000.00	418.92	4769.83	12188.75	8219.53	3969.22
45	सीहोर	40000.00	50.00	975.68	41025.68	2786.61	38239.07
46	शाजापुर	3200.00	114.40	2596.08	5910.48	3479.66	2430.82
47	उज्जैन	4600.00	411.12	672.22	5683.34	3064.53	2618.81
48	विदिशा	3700.00	0.00	1265.12	4965.12	1675.31	3289.81
	Total	**396608.68**	**37251.93**	**158424.93**	**592285.54**	**377971.93**	**214313.61**

जानकारी दिनांक 29 अप्रैल 2010 को डाउनलोड किये माह–मार्च 10 के मासिक प्रगति पत्रक के आधार पर

ऑडिट रिपोर्ट की कापी

MADHYA PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE COUNCIL (MPNREGS)

Receipts & Payment Account For the year ended on 31.03.2010

RECEIPTS		Amount	PAYMENT			Amount
Openint Balance			**ACQUISITION OF FIXED ASSETS**			
Cash at Bank	376944262.00		*Computer*	0.00		
Advance	3583955.00	380528217.00	*Furniture & Fixture*	3007200.00		
			Water Cooler	0.00		
Establishment fund received		30000000.00	*UPS*	390000.00		
			L.C.D. projector	0.00		
Convergeance fund		50000000.00	*OFFICE EQUIPMENTS*	220481.00		
Administrative fund		700000000.00	*Library Books*	5236.00	3622917.00	
			Indirect Expenses			
Technical support		0.00	*ADVERTIEMENT*	778417.00		
State Share		11111000.00	*AUDIT FEE*	70000.00		
Draought Relif Fund		406000000.00	*CONSULTANT FEE*	1562118.00		
			Honorium	14100.00		
Misc. receiptes			*MEDICLE ALLOWANCE*	39036.00		
Interest received	8322396.00		*MEETING EXP.*	206049.00		
Other receipts	737206.00		*M.P. BHAWAN NEW DELHI*	245081.00		
EMD RECEVIED	815000.00		*M.P. TOURISM*	1241167.00		
Work shop Fund	269500.00	10144102.00	*INFORMATION EDUCATION*	651872.00		
			OFFICE RENT	1545520.00		
			OFFICE MAINTANCE	1335271.00		
			PHOTOCOPY	302440.00		
			POSTAGE	183096.00		
			REPARING EXPENSES	12217.00		
			SALARY	14104294.00		
			SUNDRY EXP	245720.00		
			TELEPHONE EXP.	541331.00		
			TRAVELLING ALLOWANCE	386041.00		
			TRAVELLING ALLOWANCE SQM.	1469689.00		
			TRANSPORT (CARRIAGE)	26174.00		
			LIBRARY MEMBERSHIP FEES	15000.00		
			VEHICLE EXP.	3651460.00	28626093.00	
			TECHNICAL SUPORT (Paid During the Year)			
			Schoole of good Gover	40000.00		
			Technical Support	40603.00		
			Training-tech	16660.00		
			Work time motion	4210000.00	4307263.00	
			WORKSHOP EXPENSES		102484.00	
			UNEMPLOYMENT ALLOWANCE		475386.00	
			State Share Fund			
			Issue during the year		158510000.00	195644143.00

Cont...

A.K. CHANDERIA & CO. BHOPAL Chartered Accountants

MADHYA PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE COUNCIL (MPNREGS)

Receipts & Payment Account For the year ended on 31.03.2010

RECEIPTS	Amount	PAYMENT			Amount
		Convergeance fund			50000000.00
		Draought Relif Fund			406000000.00
		EMD Returned			85000.00
		CLOSING BALANCE			
		CASH AT BANK		733608616.00	
		FDRS		200000000.00	
		ADVANCES (Opening Balance)	3583955.00		
		Add. Paid during year	1247406.00		
			4831361.00		
		Less:- Adjusted during year	2385801.00	2445560.00	936054176.00
Total	1587783319.00	Total			1587783319.00
					0.00

As per our annexed report of even date.

Joint Commissioner
MGNREGS-MP

For A.K. CHANDERIA & Co.
Chartered Accountants

CA Anil Kumar Jain
Partner

CHANDERIA & CO. BHOPAL Chartered Accountants

MADHYA PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE COUNCIL (MPNREGS)

Balance Sheet As on 31.03.2010

Liabilities			Amount	Assets		Amount
Capital Account				**Fixed Assets**		
Opening Bal Establishment Fund		186567416.00		Computer A/c	1475504.00	
ADD:- Conciling Fund (Recd.During the Year)		30000000.00		Fax Machines	12480.00	
		216567416.00		Franking Machine	94644.00	
Add:- Excess of Income Over				Furniture & Fixture	5215494.00	
Expenditure Transfer From Income & Exp.		-22743767.00	193823649.00	Office Equipment	239893.00	
				UPS 1000 VA	442500.00	
				Vehicle A/c	1371000.00	
TECHNICAL SUPORT (Opening Balance)		1605373.00		Library Books A/c	22804.00	
LESS:- Expences				Water Cooler	66398.00	
Schoole of good Gover	40000.00			EPBX	89523.00	
Technical Support	40603.00			L C D Projector	112348.00	9142588.00
Training-tech	16660.00					
Work time motion	4210000.00	4307263.00				
Excess expenses from Parishad fund		2701890.00	0.00	SECURITY DEPOSIT		135330.00
Administrative fund			700000000.00	**Current Assets**		
				Cash at Bank Accounts	733608616.00	
Work shop Fund		269500.00		ADVANCES	2445560.00	
LESS:- Expences		-102484.00	167016.00	FDR	200000000.00	936054176.00
State Share Fund						
Opening Balance		14739900.00				
Add Received during the year		11111000.00				
Total		158510000.00				
Less:- Issue during the year		158510000.00	0.00			
Convergeance						
Opening Balance		50000000.00				
Add Received during the year		50000000.00				
Total		100000000.00				
Less:- Issue during the year		50000000.00	50000000.00			

Conti.

A.K. CHANDERIA & CO. BHOPAL Chartered Accountants

BALANCESHEET (2) 1

Current Liabilities						
Opening Balance	400000.00					
Add Received during the year	815000.00					
Less:- Issue during the year	85000.00	1130000.00				
Exp.Payable A/C		48005.00				
Security Deposit (Liability)A/c		117000.00				
Sundry Creditors A/c		42701.00				
TDS Payable		3723.00	1341429.00			
Total			945332094.00	Total		945332094.00
						0.00

As per our annexed report of even date.

For A.K. CHANDERIA & Co.
Chartered Accountants

A.K. CHANDERIA & Co. BHOPAL Chartered Accountants

28/01/11

Joint Commissioner
MGNREGS-MP

CA Anil Kumar Jain
Partner

MADHYA PRADESH NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE COUNCIL (MPNREGS)

Income & Expenditure Account For the year ended on 31.03.2010

Particulars		Amount.	Particulars		Amount.
Indirect Expenses			**Indirect Incomes**		
ADVERTIEMENT	*778417.00*		*Other Receipts*	*737206.00*	
AUDIT FEE	*70000.00*		*INTREST REC.*	*8322396.00*	**9059602.00**
CONSULTANT FEE	*1562118.00*				
Honorium	*14100.00*				
MEDICLE ALLOWANCE	*39036.00*				
MEETING EXP.	*206049.00*				
M.P. BHAWAN NEW DELHI	*245081.00*		***Excess of Expenditure Over Income***		22743767.00
M.P. TOURISM	*1241167.00*				
INFORMATION EDUCATION	*651872.00*				
OFFICE RENT	*1545520.00*				
OFFICE MAINTANCE	*1335271.00*				
PHOTOCOPY	*302440.00*				
POSTAGE	*183096.00*				
REPARING EXPENSES	*12217.00*				
SALARY	*14104294.00*				
SUNDRY EXP	*245720.00*				
TELEPHONE EXP.	*541331.00*				
TRAVELLING ALLOWANCE	*386041.00*				
TRAVELLING ALLOWANCE SQM.	*1469689.00*				
TRANSPORT (CARRIAGE)	*26174.00*				
LIBRARY MEMBERSHIP FEES	*15000.00*				
VEHICLE EXP.	*3651460.00*				
UNEMPLOYMENT ALLOWANCE	*475386.00*	29101479.00			
Excess expenditure under Technical Support		2701890.00			
Total		31803369.00	Total		31803369.00

As per our annexed report of even date.

For A.K. CHANDERIA & Co.
Chartered Accountants

A.K. CHANDERIA & Co. BHOPAL Chartered Accountants

28/01/11

Joint Commissioner
MGNREGS-MP

CA Anil Kumar Jain
Partner